छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

वर्ष -03 अंक - 165 बैकुण्ठपुर, मंगलवार 04 अप्रैल 2023 पृष्ठ -8 मूल्य -1

E paper www.cgfrontline.com

स्वास्थ्य मंत्री को हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस, 11 अप्रैल तक मांगा जवाब

तरू नीर समिति ने मौलवी बांध की भूमि को पाटकर जमीन बेचने का मामला दायर किया है न्यायालय में

इधर सिंहदेव ने कहा शिव सागर, मौलवी बांध का एरिया है उनकी पुश्तैनी जमीन

छ.ग.फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। शिवसागर बांध, जिसे मौलवी बांध के नाम से जाना जाता है, इस तालाब की भूमि के उपयोग के मामले में एक पीआईएल तरु नीर के द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आपत्ति दाखिल कराई है और उन्हें भी पक्ष बना कर सुनने का आग्रह किया है, इस पर न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करके 11 अप्रैल तक जवाब प्रस्तुत करने कहा है।

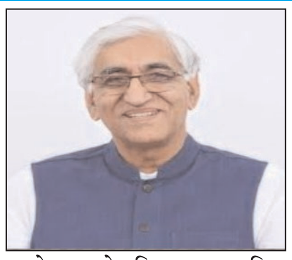

मामले में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि शिव सागर बांध का जो एरिया है, ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, जो 1947 में भारत सरकार और सरगुजा राजपरिवार के बीच हुई संधि में उल्लेखित है। 2017 में इस जमीन की शिकायत तरु नीर समिति द्वारा राज्य सरकार से की गई थी, तब तत्कालीन कलेक्टर ने शिकायत खरिज करते हुए रिपोर्ट राज्य सरकार को दी थी। वर्ष 2018 में आलोक दुबे द्वारा एनजीटी जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय है, उसमें इसी मामले पर याचिका दर्ज की, जिसमें उन्होंने तरु नीर की शिकायत का भी उल्लेख किया। वर्ष 2019 में एनजीटी ने इस मामले को खारिज किया एवं अपील को भी मेरिट पर खारिज करते हुए विवाद पर पूर्ण विराम लगाया। अभी न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, तो तथ्यों पर कुछ कहना उचित नहीं होगा। इधर कोर्ट ने तय समय-सीमा में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर एकतरफा फैसला लेने की बात कही है।

20 मार्च को याचिका दाखिल

अंबिकापुर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम करने वाली तरू नीर समिति की ओर से 20 मार्च को शहर के बीच 52.06 एकड़ में फैले शिवसागर मौलवी बांध की भूमि को पाटकर जमीन बिक्री करने का आरोप लगाया था। बताया गया था कि उक्त भूमि टीएस सिंहदेव के नाम पर है। इस पर उच्च न्यायालय के जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस एनके चंद्रवंशी की बेंच ने सुनवाई करते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री व अंबिकापुर विधायक टीएस सिंहदेव को नोटिस जारी किया है। उन्हें व्यक्तिगत या अधिवक्ता के माध्यम से जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है।

रमजान के पवित्र माह में रोजेदारों को राहत पहुंचा रही रमजान किट

- रमजान प्रोजेक्ट 2023: आइडियल रिलीफ ट्रस्ट के बैनर तले जमात-ए-इस्लामी हिन्द का आयोजन
- खाद्य सामग्री का 130 रोजेदारों को मिला लाभ, हर वर्ष खाद्य सामग्री के लिए उमड़ते हैं जरूरतमंद

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। शहर के रसूलपुर में शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाभावी कार्यों में विजन 2026 के तहत वर्ष 2005 से लगी जमात-ए-इस्लामी हिन्द द्वारा सोमवार को कार्यक्रम आयोजित कर गरीब व जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री का रमजान किट वितरित किया गया। रमजान के पवित्र माह में संस्थान द्वारा यह पुनीत कार्य 18 वर्षों से किया जा रहा है। जमात-ए-इस्लामी हिन्द ने इस वर्ष यह कार्यक्रम रमजान प्रोजेक्ट 2023 आइडियल रिलीफ ट्रस्ट के बैनर तले आयोजित किया गया। इसके तहत गरीब व जरूरतमंद परिवारों को चावल, आटा, तेल, चना, शक्कर, रहर दाल, बेसन, खजूर सहित अन्य सामग्रियां प्रदान की गई। संगठन द्वारा ऐसी पहल प्रति वर्ष की जाती है। ठंड के दिनों में जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया जाता है। इसके साथ ही जनसमस्याओं पर भी जमात-ए-इस्लामी हिन्द की नजर रहती है। समस्याग्रस्त क्षेत्रों में पानी के लिए बोर खनन के अलावा दूसरे सेवा कार्य भी किए जाते हैं। रमजान के पवित्र माह में खाद्य सामग्री का किट बांटने का उद्देश्य ऐसे गरीब परिवारों को राहत पहुंचाना होता है, ताकि वे नेक नीयति से पवित्र महीने में रोजा रख सकें और उनके परिवार को राहत मिल सके। प्रतिभावान बच्चों को छात्रवृत्ति देने का काम भी संस्थान करती है। जमात-ए-इस्लामी हिन्द के इस आयोजन में जिला अध्यक्ष जफरउल्ला खान, शमीम अख्तर, मो.अनीस के साथ अब्दुल रशीद खान, रिफतउल्ला खान, अधिवक्ता एन सिद्दीकी, नबी इमाम, सुहैल अहमद, हाफिज मोबिन सहित, मो.रफीक खान सहित अन्य उपस्थित थे।

किट में दी गई ये सामग्री-रमजान किट में रोजेदारों को इस बार चावल 08 किलो, आटा 10 किलो, तेल दो लीटर, चना 01 किलो, बेसन 02 किलो, शक्कर 01 किलो, रहद दाल 01 किलो, नमक 01 किलो, खूजूर 500 ग्राम प्रदान किया गया। जिला अध्यक्ष जफरउल्ला खान ने बताया कि रमजान प्रोजेक्ट 2023 के तहत 130 लोगों को रमजान किट वितरण किया गया है। इसके पहले घर-घर जाकर सर्वे कराने का कार्य पूरा किया गया था, जिससे पता चल सके वास्तव में इस किट का कौन हकदार है। उन्होंने बताया सूरजपुर जिले के जयनगर में भी रमजान किट का वितरण किया जाएगा, यहां 30 रोजेदारों को किट देने का लक्ष्य रखा गया है।

तालीम के लिए दे रहे स्कॉलरशिप

शिक्षा से कोई गरीब या माता-पिता विहीन बच्चा वंचित न हो, इस पर भी जमात-ए-इस्लामे हिंद की नजर है। हालिया में ऐसे लगभग 12 बच्चों को स्कालरशिप की कुल राशि में से 9-9 हजार रुपये का चेक प्रदान किया जा रहा है, ताकि बच्चे तालीम से वंचित न रहें। जफरउल्ला खान बताते हैं कि ऐसे बच्चों के लिए संगठन की ओर से 15 सौ रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिया जाता है। वर्ष भर में दिए जाने वाले 18 हजार रुपये को दो किश्त में नौ-नौ हजार रुपये करके छह-छह माह में प्रदान किया जाता है।

शिक्षा व स्वास्थ्य में धर्म-जाति बंधन नहीं

जमात-ए-इस्लामी हिंद संगठन के द्वारा सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्य अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र को धर्म, जाति के बंधन से मुक्त रखा गया है। इसका लाभ हर वर्ग को मिले, इसके लिए वे प्रयासरत रहते हैं। जफरउल्ला खान बताते हैं कि जीवन में लगी आपाधापी के बीच ऐसे कार्यों के लिए समय निकाल पाना कठिन कार्य है, लेकिन बच्चों की तालीम एवं स्वास्थ्यगत सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर संगठन सदैव आगे रहता है। बस्ता, किताब ही नहीं फीस में मदद, बीमारों का इलाज संगठन के विजन का हिस्सा है।

आईजी ने प्रशिक्षु आईपीएस को दी बेसिक पुलिसिंग की जानकारी

अंबिकापुर। व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सरगुजा जिले में पदस्थापना पर आए प्रशिक्षु आईपीएस चिराग जैन ने आईजी राम गोपाल गर्ग से सौजन्य भेंट कर बेसिक पुलिसिंग के गुर सीखे। सोमवार को पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज कार्यालय में प्रशिक्षु आईपीएस ने सरगुजा जिले में तैनाती के पश्चात आईजी से सौजन्य मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग ने प्रशिक्षु आईपीएस से बेसिक पुलिसिंग के बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए व्यवहारिक ज्ञान के साथ-साथ वर्तमान समय में हो रहे हाईटेक साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के साथ नई तकनीकि के माध्यम से बेसिक पुलिसिंग को मजबूत करने

व आम नागरिकों को लाभ पहुंचाने बात कही। आईजी ने प्रशिक्षु आईपीएस को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के बीच आम नागरिकों से शालीन व्यवहार रखकर उनकी समस्याओं का निराकरण करने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने प्रशिक्षु आईपीएस को यह भी गुर सिखाया कि रिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों एवं उनके द्वारा सौंपे गए कार्य को समय-सीमा में पूर्ण करें और आम नागरिकों के हित को सर्वोपरी मानते हुए उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें।

प्रचलित गाइडलाइन दरों में परिवर्तन नहीं

छ.ग.फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। स्टांप एवं पंजीयन शुल्क के वर्तमान में प्रचलित गाइडलाइन दरों को यथावत रखा गया है। इसी प्रकार 75 लाख रुपये तक के आवासीय मकानों एवं फ्लैट्स के विक्रय विलेखों पर प्रदत्त पंजीयन शुल्क में दो प्रतिशत की छूट को 31 मार्च 2024 तक के लिए यथावत रखा गया है। इस संबंध में महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा परिपत्र जारी कर दिया गया है।

परिपत्र में यह भी कहा गया है कि नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि का आबंटन या अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन तथा रियायती या गैर रियायती स्थायी पट्टों को भू-स्वामी अधिकार में परिवर्तन संबंधी दस्तावेजों पर स्टांप एवं पंजीयन शुल्क अधिकतम दो हजार रुपये प्रभार्य किया गया था, जिसकी प्रभावशीलता 31 मार्च 2023 तक थी। एक अप्रैल 2023 से उक्त छूट प्रभावशील नहीं होने से पूर्ववत अंतरण की भांति स्टांप शुल्क व पंजीयन शुल्क देय होगा।

वर्तमान मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ने विद्या मितानों को जूस पिलाकर तोड़वाया था हड़ताल, नहीं हुआ नियमितीकरण

कैबिनेट मंत्रियों को विद्या मितान, अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण के लिए सौंपा ज्ञापन

छ.ग.फ्रंटलाइन

रामानुजगंज। जिले के ग्राम पंचायत महाराजगंज में आयोजित किसान महासम्मेलन में शामिल हुए प्रदेश के दो कैबिनेट मंत्रियों से विद्या मितान अतिथि शिक्षकों ने मुलाकात की और नियमितीकरण के संबंध में ज्ञापन सौंपा।

प्रदेश के उच्च एवं उच्चतर विद्यालयों में 2016 से ही विद्या मितान शिक्षकों के रूप में बस्तर एवं सरगुजा संभाग में कार्यरत हैं। उस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, चुनाव के बाद प्रदेश की सत्ता कांग्रेस के हाथ में आ गई। तत्समय पूरे प्रदेश प्रदेश के उच्च एवं उच्चतर विद्यालयों में विद्या मितान, शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, वर्तमान सरकार द्वारा आदेश जारी कर विद्या मितान से ही अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य लिया जा रहा था। चुनाव के पूर्व कांग्रेस सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ने विद्या मितानों को रायपुर के बूढ़ा तालाब में किए जा रहे हड़ताल के दौरान वहां पहुंचकर जूस पिलाया और हड़ताल समाप्त कराया था। इस दौरान मंच से घोषणा की गई थी कि उनकी सरकार आते ही प्राथमिकता देते हुए उन्हें नियमित करने की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। कांग्रेस सरकार का चार वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी इनके नियमितीकरण की पहल नहीं हो सकी है, जिससे इनमें असंतोष है। किसान महासम्मेलन में आए प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को इन्होंने नियमितीकरण के संबंध में ज्ञापन सौंपकर कहा कि उनका कार्य आपकी सरकार ही कर सकती है, जिस पर उन्होंने इनकी बातों को मुख्यमंत्री तक रखने का आश्वासन दिया है। ज्ञापन सौंपने वालों में बलरामपुर के जिलाध्यक्ष के साथ-साथ पूरे जिले के अतिथि शिक्षक सैकड़ों की संख्या में शामिल रहे।

बिजली विभाग द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर आमजनों की पहुंच से दूर

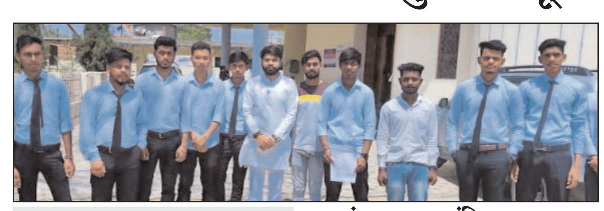

- फ्यूज कॉल सेंटर का फोन बंद या स्विच ऑफ बताने से विद्युत उपभोक्ता परेशान
- आजाद सेवा संघ ने गर्मी पूर्व मेंटनेंस कार्य पूरा करने कार्यपालन अभियंता से किया आग्रह

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। शहर में कटौती के नाम पर बन रही बिजली बाधा की स्थिति व फ्यूज कॉल सेंटर में किसी के द्वारा फोन नहीं उठाने से सकारात्मक जवाब आम उपभोक्ताओं को नहीं मिल पाता है। ऐसे में विभाग के द्वारा बनाए गए फ्यूज कॉल सेंटर की उपयोगिता पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि उनके द्वारा बिजली बाधा जैसी किसी भी सूचना के आदान-प्रदान के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इसे लेकर गैर राजनीतिक संगठन आजाद सेवा संघ छत्तीसगढ़ ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि यह नंबर आम उपभोक्ताओं तक प्रचार-प्रसार के अभाव में नहीं पहुंच पाया है। मौसमी चतार-चढ़ाव के बीच गर्मी के मौसम में घंटों ब्लैक आउट का सामना न करना पड़े, इसे देखते हुए संघ के प्रदेश सचिव रचित मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के कार्यपालन अभियंता को ज्ञापन सौंपकर आए दिन शहर में बिजली की कटौती से होने वाली शहर वासियों को परेशानी की ओर ध्यानाकर्षण कराया है। साथ ही गर्मी से पूर्व मेंटेनेंस का कार्य पूरा करने की बात कही है। साथ ही कटौती का कारण स्पष्ट हो, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क नहीं होने से बनने वाली दुविधाजनक स्थिति की ओर ध्यान दिलाते हुए फ्यूज कॉल सेंटर के बंद और व्यस्त बताने वाला नंबर जनोपयोगी साबित हो, इसका आग्रह किया है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि उनके द्वारा सहूलियत के लिए नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, परंतु उस पर कॉल करने से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं मिल पाने से आम जनों को कई बार बिजली विभाग के कार्यालय की दौड़ देर रात में भी लगानी पड़ती है। इसे देखते हुए आजाद सेवा संघ ने बिजली उपभोक्ताओं के हित में शहर के विभिन्न फीडरों से होने वाली बिजली सप्लाई के सब स्टेशनों का हेल्पलाइन नंबर जारी करने एवं हेल्पलाइन नंबर में किसी प्रकार का बदलाव होने पर नए हेल्पलाइन नंबर को शहर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्यपालन अभियंता से आग्रह किया है। ज्ञापन सौंपने के दौरान संघ के अभिनव चतुर्वेदी, सोनू सिंह, राजेन्द्र सिंह, विवेक दास, विशाल संजय उपस्थित रहे।

राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना नपं क्षेत्रों में भी प्रभावशील

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का विस्तार करते हुए अब नए वित्तीय वर्ष 2023-24 से नगर पंचायत क्षेत्रों में भी प्रभावशील कर दिया गया है। नगर पंचायतों में 15 अप्रैल तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना छत्तीसगढ़ राज्य की महत्वाकांक्षी योजना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बजट भाषण के अनुरूप योजना का विस्तार ग्राम पंचायत क्षेत्रों के साथ-साथ नगर पंचायत एवं नगर पालिका (अनुसूचित क्षेत्रों) में किया गया है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में नवीन आवेदन प्राप्त कर डाटा एंट्री कार्य के लिए समय-सारणी निर्धारित किया गया है। समय-सारणी के अनुसार नवीन आवेदन प्राप्त करने की तिथि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2023 तक, पोर्टल में डाटा प्रविष्ट करने की तिथि 22 अप्रैल 2023 तक, तहसीलदार द्वारा पंजीकृत आवेदनों का निराकरण की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2023 तक, आवेदनों के स्वीकृति-अस्वीकृति पश्चात ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका क्षेत्रों पर प्रकाशन कर प्राप्त दावा आपत्ति का ग्राम सभा-सामान्य सभा में निराकरण की अंतिम तिथि 8 मई, सामान्य सभा के निर्णय अनुसार पोर्टल में अद्यतीकरण 14 मई 2023 तक और अंतिम सत्यापित सूची के प्रकाशन की तिथि 15 मई 2023 निर्धारित है। योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की पहचान करना तथा भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को वार्षिक आधार पर आर्थिक अनुदान उपलब्ध करवाना है। आर्थिक अनुदान के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय में वृद्धि करना है। योजना का क्रियान्वयन जिला स्तर पर कलेक्टर की देखरेख में किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया जाना है। योजना के तहत प्रतिवर्ष पात्र चिन्हित हितग्राही परिवार के मुखिया को किश्तों में सात हजार रुपये अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, चंद घंटे के अंदर चारों आरोपित गिरफ्तार

आरोपितों में तीन विधि से संघर्षरत बालक शामिल

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विधि से संघर्षरत बालकों सहित चार आरोपितों को सीतापुर थाने की पुलिस ने चंद घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। सीतापुर पुलिस को प्रार्थिया ने बताया था कि घटना दिनांक 31 मार्च को चार लड़के उसकी नाबलिक लड़की को अन्यत्र जगह ले गए और सामूहिक दुष्कर्म किया। रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 365, 376(घ), 506 भादसं एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। महिला अपराधों के त्वरित निवारण के निर्देश के परिपालन में पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज राम

गोपाल गर्ग के मार्गदर्शन व पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपितों को गिरफ्तार किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सीतापुर ध्रुवेश जायसवाल के नेतृत्व में थाना प्रभारी सीतापुर उप निरीक्षक शिशिरकान्त सिंह एवं पुलिस टीम घटना की जानकारी संज्ञान में आने के बाद आरोपितों की पतासाजी के लिए मुखबिर का सहारा ली और लगातार छापामार कार्रवाई कर चारों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ करने पर आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना में संलिप्त होना स्वीकार किया। आरोपितों में तीन विधि से संघर्षरत बालक भी शामिल हैं, जिन्हें बाल न्यायालय में एवं एक अन्य आरोपी आकाश चौधरी निवासी सीतापुर को गिरफ्तार कर नाययिक अभिरक्षा में भेजा गया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी सीतापुर उप निरीक्षक शिशिरकांत सिंह के साथ उनि अनिल सोनवानी, सउनि शिवचरण साहू, बालमुकुंद सिंह, आरक्षक पंकज देवांगन, अभिषेक राठौर, जितेंद्र सिंह व सहयोगी शामिल रहे।

अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जद्दोजहद के बीच सड़क की समस्या का पटाक्षेप

अंबिकापुर। विज्ञान महाविद्यालय (वर्तमान में आत्मानंद महाविद्यालय) के सामने प्रशासन से सड़क की मांग काफी जद्दोजहद के बाद पूरी हुई। पहले जो सड़क थी, उसे महाविद्यालय प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया था, जिससे कम्यूनिटी एफएम रेडियो स्टेशन तक जाने व गांव वालों को अपने निवास तक आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसे लेकर दो अप्रैल को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरूआत की गई, इसके बाद जिला प्रशासन व पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता की पहल पर एसडीएम व तहसीलदार की उपस्थिति में नए सड़क को चिन्हांकित किया गया। शाम होने के कारण जेसीबी से सड़क निर्माण नहीं हो पाया था। सोमवार को सड़क मार्ग का मार्किंग कर दिया गया है, अब मुरम डालकर निर्माण कार्य को गति दिया जाएगा। इस समस्या का निराकरण नियोटेक कम्यूनिटी एफएम रेडियो केशवपुर अंबिकापुर के केंद्र निदेशक सुनील पलसकर ने पुलिस अधीक्षक, जिला प्रशासन की ओर से पहुंचे एसडीएम व तहसीलदार सहित ग्राम के सरपंच व प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले ग्रामीणों की बदौलत हो पाया, जिससे उन ग्रामीणों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, जो सड़क मार्ग बंद होने से अपने घरों तक आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना कर रहे थे।

युवाओं के लिए साईं कॉलेज, स्वीप सरगुजा व लाइवलीहुड कॉलेज आए साथ

छ.ग.फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। श्री साईं बाबा आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ.राजेश श्रीवास्तव ने सोमवार को उच्च शिक्षा, रोजगार और भारतीय लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए स्वीप सरगुजा के साथ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित जिला लाइवलीहुड कॉलेज के साथ एमओयू (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किया। कलेक्टर सरगुजा के निर्देशन में जिला स्वीप नोडल अधिकारी एवं लाइवलीहुड कॉलेज के प्राचार्य डॉ.गिरीश गुप्ता ने मतदाता जागरूकता, एकेडमिक गतिविधियों, रोजगार प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के संबंध में अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दस्तावेज हस्तांतरित किया। श्री साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय, स्वीप सरगुजा और लाइवलीहुड कॉलेज के एक मंच पर आने से सरगुजा के युवाओं को गुणात्मक शिक्षा के साथ-साथ प्रशिक्षण व रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। साईं कॉलेज में एमओयू पर हस्ताक्षर के दौरान सहायक परियोजना अधिकारी इंदु मिश्रा, मैनपाट बीएलओ अशोक सिंह, स्वीप नोडल अधिकारी डॉ.अजय कुमार तिवारी, कंप्यूटर साइंस आईटी के डीन डॉ. विवेक गुप्ता, वाणिज्य और प्रबंधन विभाग के अध्यक्ष राकेश सेन उपस्थित रहे।

भटगांव मंडल की कार्यसमिति बैठक में स्थापना दिवस की कार्ययोजना तैयार

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

भटगांव। स्टेडियम ग्राउंड में जिला संगठन के निर्देशानुसार भटगांव मंडल के अध्यक्ष सुभाष राजवाड़े की अध्यक्षता में मंडल कार्यसमिति की बैठक प्रदेश मंत्री परमेश्वरी राजवाड़े के मुख्य आतिथ्य व मंडल प्रभारी सुनील गुप्ता, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष गिरीश गुप्ता की उपस्थिति में हुई।

कार्यसमिति की बैठक में सभी मंडल, जिला व मोर्चा के पदाधिकारी, शक्ति केंद्र के प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक, बूथ के अध्यक्ष व सचिव सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक में संगठनात्मक चर्चा व आगामी छह अप्रैल को मनाए जाने वाले भाजपा स्थापना दिवस के बारे में कार्ययोजना तैयार की गई और बूथ संरचना पर जोर देते हुए संगठन को मजबूती से काम करने कहा गया। पोलिंग बूथ के अध्यक्ष व सचिव को पं. दीनदयाल उपाध्याय, भारत माता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भाजपा का झंडा देकर सम्मानित किया गया।

हर बूथ अध्यक्ष के घर में भाजपा का ध्वज लगाने व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को अधिक से अधिक संख्या में वृहद स्तर पर विभिन्न पोलिंग बूथ में कार्यक्रम आयोजित कर सुनने पर चर्चा की गई। कार्यक्रम को प्रदेश मंत्री परमेश्वरी राजवाडे, मंडल प्रभारी सुनील गुप्ता, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष गिरीश गुप्ता, मंडल अध्यक्ष सुभाष राजवाड़े ने संबोधित किया।

छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी

गोधन न्याय योजना चढ़ा लापरवाही की भेंट जिम्मेदार नदारद

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

भटगांव। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना सूरजपुर जिले सहित जनपद पंचायत भैयाथान अंतर्गत आने वाले लगभग 70 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है । यहां बने गोठनों में गोबर खरीदी बंद है, वहीं पंचायत सचिव वर्तमान में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। कृषि विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण क्षेत्र के छोटे किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कृषि विभाग को गोधन केंद्रों का नोडल अधिकारी बनाया गया है, इनकी घोर लापरवाही से ना तो गोबर खरीदी हो रही है और न ही केंचुआ खाद बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना की चर्चा पूरे देशभर में होती है।

प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार ने इस योजना के तहत गांव-गांव में गौठान निर्माण करवाया है, जहां पशुओं को रखना है। इनके खाने के लिए पैरा, घास उपलब्ध कराया जाना है। साथ ही पशुओं से भी लाभ लेने की योजना है। इसके लिए गौठान के अंदर ही कई रोजगार मूलक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिससे गांव के लोगों को आर्थिक लाभ मिल सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौठान के माध्यम से पशु पालकों से दो रुपये किलो गोबर खरीदने की योजना शुरू की थी, इससे ग्रामीणों को काफी फायदा हुआ, रोजगार के रूप में भी लोगों को लाभ मिलने लगा, लेकिन सुरजपुर जिले सहित जनपद पंचायत

भैयाथान के 70 प्रतिशत गौठानों में मुख्यमंत्री के मंशानुरूप काम नहीं हो रहा है। ना तो यहां गोबर खरीदी हो रही है और ना ही पशुओं को रखा गया है। ग्रामीणों को किसी तरह से गौठान से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कुछ किसानों का कहना है कि अगर गौठान का सही तरीके से संचालन होगा तो उससे निश्चित रूप से लोगों को फायदा होगा, लेकिन जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में गौठान का कोई उपयोग नहीं है। गौठान में घास, पैरा, गोबर नहीं खरीद रहे हैं, ना ही वहां के देखरेख, रख-रखाव की ओर ध्यान है। गाय, भैंस कुछ भी नहीं है। गौठान के नाम पर शासन फालतू पैसा खर्च कर रही है। ऐसे में इसे बंद कर देने की बात ग्रामीणों के मुख से सुनने को मिल रहा है।

क्या है गोधन न्याय योजना

गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक सरकारी स्कीम है, इसका उद्देश्य प्रदेश में पशुपालकों को सरकार द्वारा आर्थिक मदद का लाभ दिलाना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योजना को राज्य में जुलाई 2020 से शुरू किया है। इसके जरिए सरकार पशुपालकों से गोबर खरीदती है और बदले में उन्हें उचित दाम दिया जाता है। सरकार किसानों से गोबर खरीद कर उसे वर्मी कंपोस्ट, खाद में बदलने का काम करती है, बाद में यह ऑर्गेनिक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने पिछले साल 100 करोड़ रुपये का गोबर पशु पालकों से खरीदा था। गौठान में गोबर से बने वर्मी कंपोस्ट खाद को 10 रुपये किलो बेचा जाता है।

कृषि विभाग के द्वारा 70 प्रतिशत गौठान में गोबर खरीदी नहीं कराई जा रही है। मेरे द्वारा किसानों के साथ गौठान का निरीक्षण किया गया तो यहां गोबर की खरीदी नहीं होना पाया गया, जिसमें कृषि विभाग की घोर लापरवाही प्रदर्शित होती है।

अभय प्रताप सिंह
जनपद सदस्य
सदस्य कृषि समिति
जपं भैयाथान

बाइक की टक्कर से ग्रामीण की मौत

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। एनएच 43 पर लघुशंका कर सड़क पार कर रहे ग्रामीण की बाइक की टक्कर से मौत हो गई। जयनगर पुलिस ने बताया कि ग्राम पंचायत शिवसागरपुर निवासी 56 वर्षीय देवीचरण पिता स्व. दखल सोमवार को दोपहर 12 बजे सायकल से सिलफिली ग्रामीण बैंक जा रहा था। तभी एनएच 43 पर गणेशपुर में सड़क किनारे सायकल खड़ी कर सड़क के दूसरी ओर लघुशंका करने गया था। लघुशंका कर वापस सड़क पार करते समय बिश्रामपुर की ओर से अंबिकापुर की ओर जा रहे होंडा साइन के चालक ने तेज व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए ग्रामीण को टक्कर मार दिया। दुर्घटना में ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गया। सूचना पर पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ जुर्मदर्ज कर विवेचना शुरू कर दिया है।

15 सालों से लंबित भू-अर्जन की राशि का चेक शिक्षा मंत्री ने किया वितरण

मुआवजे की राशि मिलने से किसानों में खुशी की लहर

बलरामपुर। छ.ग. फ्रंटलाइन। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री व आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिह ने जिले के गिरवानी व कोटराही जलाशय परियोजनाओं के लंबित भूअर्जन की राशि 5 करोड़ 46 लाख 20 हजार 6 सौ 40 रुपये की राशि का 43 किसानों को चेक प्रदान किया, वही बीते 15 वर्षो से लंबित सिंचाई परियोजनाओ की भू-अर्जन की राशि मिलने से किसानों में खुशी की लहर है, मुआवजा राशि की खुशी किसानों के बीच देखते ही बन रही है वही किसानो ने प्रदेश सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

गौरतलब है कि वर्ष 2008 में वाड्रफनगर विकासखण्ड के गिरवानी व कोटराही में सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत जलाशय का निर्माण किया गया था,तथा सिंचाई परियोजनाओं के लिए 43 किसानों की खेतिहर भूमि डुबान क्षेत्र में घोषित करते हुए भू-अर्जन के तहत प्रकरण तैयार किया गया था लेकिन लंबे समय से किसानों को भू-अर्जन के अंतर्गत मुआवजे की राशि नही मिल पाई थी, किसान मुआवजे की राशि को लेकर चिंतित थे, कि उन्होंने मुआवजे की आस ही छोड़ दी थी, इस बीच

ऐसे में कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. के मार्गदर्शन में सिंचाई परियोजनाओ के मुआवजा प्रकरणों का निराकरण करते हुए कोटराही जलाशय बांध योजना अंतर्गत कुल 16 प्रभावित किसानों को 01 करोड़ 81 लाख 20 हजार 6 सौ रुपये तथा गिरवानी जलाशय बांध योजना के अंतर्गत 27 प्रभावित किसानों को 03 करोड़ 65 लाख 40 रुपये मुआवजे राशि का वितरण स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने चेक के माध्यम से किया। 15 वर्षो बाद मुआवजे की राशि पाकर प्रभावित किसान खुशी से गदगद है, किसानों का कहना है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान दिए गए निर्देशो का क्रियान्वयन करते हुए जिला प्रशासन ने उन्हें लंबित मुआवजा राशि का भुगतान किया है।

उक्त कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) श्री दीपक निकुंज, जिला शिक्षा अधिकारी श्री के.एल. महिलांगे, प्राचार्य श्री आर.के. सिंह तहसीलदार श्री राजीव जेम्स कुजूर, जल संसाधन विभाग के एसडीओ, क्षेत्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी व ग्रामीणजन उपस्थित थे।

11 वें वेतन समझौता को लेकर बैठक 18 को

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। कोयला कामगारों के 11 वें वेतन समझौते के लिए गठित जेबीसीसीआई की 9 वीं बैठक अब 18 अप्रैल को सुबह 11 बजे से कोलकत्ता में की जाएगी। 27 मार्च को कोल प्रबंधन के साथ एचएमएस, बीएमएस, सीटू, एटक के नेताओं की बैठक हुई थी। बैठक में ही 18-19 अप्रैल को जेबीसीसीआई की 9 वीं बैठक बुलाए जाने को लेकर सहमति बनी थी ।जेबीसीसीआई में 5 वीं यूनियन के तौर पर इंटक (राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन) भी शामिल हो चुका है। इसके पहले 3 जनवरी को जेबीसीसीआई की 8 वीं बैठक हुई थी। इसमें 19 फीसदी एमजीबी पर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका है। दरअसल 19 फीसदी एमजीबी का मामला डीपीई में स्वीकृति के लिए रूका हुआ है। डीपीई द्वारा 24 नवम्बर 2017 को ऑफिस मेमोरेंडम इसमें बाधा बना हुआ है। डीपीई द्वारा इसमें छूट दिए जाने पर ही 19 फीसदी एमजीबी पर मुहर लग सकेगी। 9 वीं बैठक में इसमें हो रही देरी को लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही प्रस्तावित बैठक में कोयला कामगारों की सामाजिक सुरक्षा, भत्ते इत्यादि विषयों पर चर्चा होगी और निर्णय लिया जाएगा।

रामनवमी में निकली शोभायात्रा पर हमला, ग्राम विजयनगर की घटना

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष सहित अन्य के विरूद्ध अपराध दर्ज

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रामानुजगंज। रामनवमी पर्व 30 मार्च को पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान देश के अलग-अलग राज्यों में शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की घटनाएं हुई। ऐसी ही घटना बलरामपुर रामानुजगंज जिले के रामानुजगंज थाना अंतर्गत ग्राम विजयनगर चौकी के समीप हुई।

रामनवमी के दिन ग्राम विजयनगर में हिंदू संगठनों के द्वारा शोभायात्रा निकाली गई थी। आरोप है कि ग्राम चुमरा नदी के किनारे पहुंची शोभायात्रा पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष महबूब खान सहित 15-20 लोगों ने लाठी-डंडे व पत्थर से हमला कर दिया। घटना की सूचना जनपद पंचायत रामचंद्रपुर के उपाध्यक्ष बीडी लाल गुप्ता को मिली तो वे मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को दी। मौके पर उप पुलिस अधीक्षक सुशील नायक, एसडीएम गौतम सिंह, तहसीलदार विनीत सिंह, एसडीओपी एनके सूर्यवंशी पहुंचे और किसी तरह मामले को शांत कराया। घटना की रिपोर्ट जनपद उपाध्यक्ष बीडी लाल गुप्ता ने पुलिस चौकी विजयनगर में दर्ज कराई है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने महबूब खान, शाहबाज खान एवं मुस्ताक खान सहित 10 से 15 व्यक्तियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 427, 294, 506, 34 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है और अग्रिम जांच कार्रवाई कर रही है।

गोबर से निर्मित पेंट यूनिट का हुआ लोकार्पण

बलरामपुर। छ.ग. फ्रंटलाइन। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप सुराजी गांव योजना के तहत जिले के बड़कीमहरी में गोबर से निर्मित पेंट यूनिट का लोकार्पण कृषि विकास मंत्री श्री रविन्द्र चौबे,आबकारी व उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा ने किया ।बलरामपुर शहरी गौठान में संचालित इस गोबर पेंट यूनिट में तीन महिला स्व सहायता समूह की 30 महिलाएं शामिल है,तथा प्रतिदिन 800 लीटर पेंट का निर्माण किया जाएगा। जिले के पहले पेंट यूनिट का गोबर पेंट ग्रीन अर्थ एन्ड ग्रीन फुट पेंट (ए एल एफ) के नाम से मार्केट में उपलब्ध होगी।

भैयाथान की सुंदरता को बढ़ा रहा मां महामाया व्यवसायिक परिसर : राजवाड़े

1.18 करोड़ की लागत से बने परिसर व सामुदायिक भवन का विधायक व अतिथियों ने किया शुभारंभ

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

भैयाथान। ब्लॉक मुख्यालय में एक करोड़ 18 लाख की लागत से बने नवीन मां महामाया व्यवसायिक परिसर व 10 लाख की लागत से बने सामुदायिक भवन का मुख्य अतिथि भटगांव विधायक व संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े, प्रदेश कांग्रेस सचिव अखिलेश प्रताप सिंह, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रावेंद्र प्रताप सिंह, जनपद अध्यक्ष सुलोचनी पैकरा, सरपंच फुलबस सिंह की मौजूदगी में फीता काटकर शुभारंभ किया, साथ ही एक करोड़ की लागत से ग्रामीण बैंक भैयाथान से पेट्रोल पंप तक सड़क के दोनों साइड में बनने वाली नाली व सब्जी मंडी निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भटगांव विधायक व संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े ने कहा कि पहले भैयाथान ब्लॉक मुख्यालय जैसा दिखता नहीं देता था। मां महामाया व्यवसायिक परिसर के उन्मुखीकरण व सौंदर्यीकरण होने से अब भैयाथान भी सुंदर दिखाई दे रहा है।

पूर्व में यहां झोपड़ीनुमा दुकानें हुआ करती थी। पक्के दुकान का निर्माण करके दुकानदारों को मालिकाना हक देने सुनहरा अवसर दिया गया है, जिससे उनके आय में भी वृद्धि होगी। वहीं व्यवसायिक परिसर के बनने से ग्राम पंचायत के आय में भी बढ़ोतरी होगी, जो स्थाई पूंजी के तौर पर काम आएगी। उन्होंने कहा यहां बहुत जल्द रजिस्ट्रार की व्यवस्था की जाएगी, भैयाथान के विकास के लिए वे संकल्पित हैं। प्रदेश कांग्रेस सचिव अखिलेश प्रताप सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि पहले यहां के दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने नोटिस मिला करता था, अब उन्हें अधिकार पत्र दिया जा रहा है। मां महामाया व्यवसायिक परिसर की परिकल्पना व निर्माण कठिनाइयों से भरा रहा, जो अब साकार हुआ है। आज का दिन भैयाथान के लिए गौरवशाली है। उन्हीं दुकानदारों को मालिकाना हक दिया गया है, जो पात्र थे। यह कार्य संसदीय सचिव के सहयोग से संपन्न हुआ है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर दुकानों का आवंटन किया गया, जिसकी लागत राशि एक करोड़ 18 लाख है। कार्यक्रम को ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रावेंद्र प्रताप सिंह, प्रदीप राजवाड़े, अभय प्रताप सिंह ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन शान्तनु सिंह व आभार प्रदर्शन गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने किया।

इस दौरान जनपद अध्यक्ष सुलोचनी पैकरा, अजय प्रताप सिंह, राजू गुप्ता, नूर आलम, प्रदीप राजवाड़े, मदनेश्वर साहू, अजय अग्रवाल, नवीन अग्रवाल, अनिल सिंह, कृष्ण मुरारी साहू, आशीष प्रताप सिंह, दिलीप जायसवाल, पार्थ सिंह, लालचंद केवट, दिनेश केवट, जनपद सीईओ विनय गुप्ता, तहसीलदार ओपी सिंह, ऐई लोकनाथ नेताम, सचिव आनन्द सिंह सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

डीएवी में नया शैक्षणिक सत्र वैदिक यज्ञ व हवन से शुरू

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। नगर के डीएवी पब्लिक स्कूल में नए शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ सोमवार को वैदिक यज्ञ व हवन के साथ किया गया। आयोजन में डीएवी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन अमित सक्सेना एवं शिवानी महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती आभा सक्सेना यजनान के रूप में व प्राचार्य हरिश कांत पाठक एवं सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ 3 री से 12 वीं तक के सभी विद्यार्थी सम्मिलित हुए। विद्यालय परिवार के शारीरिक, आत्मिक और बौद्धिक विकास के लिए वैदिक हवन का आयोजन हुआ। इसके पश्चात चेयरमैन क्षेत्रीय महाप्रबंधक अमित सक्सेना ने विद्यार्थियों को शिक्षकों व माता पिता का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय की सरल व्याख्या करते हुए विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति, परंपरा और अनुशासन का पालन करते हुए सत्य को आत्मसात करने और कठिन परिश्रम करते हुए जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आचार्य के रूप में बलवीर त्रिपाठी और हीरालाल (संस्कृत शिक्षकों) ने शांति पाठ के साथ कार्यक्रम संपन्न कराया।

नगर पंचायत द्वारा कराए जा रहे कार्यों पर रोक लगाने ज्ञापन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। नगर पंचायत बिश्रामपुर प्रबंधन द्वारा विभिन्न वार्डों में कराए जा रहे निर्माण कार्यों पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर भाजयुमो जिला महामंत्री दुर्गा गुप्ता ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर को दिए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि नगर पंचायत प्रबंधन बिश्रामपुर द्वारा विभिन्न वार्डों में सीसी रोड व पुलिया निर्माण कार्य कराए जाने की पहल की जा रही है, जबकि यहां पर अधिकांश कार्य पूर्व से ही पूर्ण हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में नगर पंचायत प्रबंधन द्वारा बेवजह शासन की राशि का दुरुपयोग कर गड़बड़ी किया जा रहा है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि एसईसीएल के कालोनियों में बने नगर पंचायत में एसईसीएल प्रबंधन द्वारा सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था पूर्व से ही की जा चुकी है, ऐसी स्थिति में अच्छे कार्यों को बदलकर बेवजह शासकीय राशि का बंदरबांट किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में नगर पंचायत द्वारा कराए जा रहे कार्यों पर अविलंब रोक लगाए जाने की मांग की गई है।

डामर प्लांट में चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। क्षेत्र के ग्राम पंचायत केशवनगर में स्थित एक डामर प्लांट में गतदिनों हुए चोरी मामले में पुलिस ने दो आरोपी को गिरफ्तार है। पुलिस ने बताया कि ग्राम पंचायत सतपता निवासी सत्यम मिश्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 1 अप्रैल की रात्रि में अज्ञात चोर उसके ग्राम पंचायत केशवनगर स्थित डामर प्लांट गोदाम के खिड़की को तोड़कर लोहे का एंगल, पट्टा, ट्रक का पहिया चोरी हो गई है। रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले में धारा 457, 380 के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। मामले में पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने चोरों की पतासाजी कर जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश थाना प्रभारी विश्रामपुर को दिए थे।मुखबीर से सूचना मिला कि सतपता के सहनवाज और सतीश बघेल को चोरी का सामान ले जाते हुए देखा गया है, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर सहनवाज खान पिता तनवीर खान (22 वर्ष) निवासी सतपता एवं सतीश पिता गणपत राम (19 वर्ष) निवासी सतपता को पकड़ा गया। पूछताछ पर दोनों आरोपियों द्वारा डामर प्लांट से चोरी करना स्वीकार किया गया। आरोपियों के निशानदेही पर चोरी का 1 नग डिस्क, 5 नग पट्टा, 3 नग एंगल व स्टेड को जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

कार्रवाई में एएसआई सोहन सिंह, शशि शेखर तिवारी, प्रवीण राठौर, प्रधान आरक्षक रामनिवास तिवारी, अविनाश सिंह, विकास सिंह, आरक्षक रविशंकर पाण्डेय, उमेश राजवाड़े, बिहारी पाण्डेय, अभिमन्यु पैकरा, योगेश सिंह, प्यारेलाल राजवाड़े, मनोज कुमार व वाहिद हुसैन सक्रिय रहे।

स्वर्गीय बिसाहू दास महंत छत्तीसगढ़ में राजनीति व सामाजिक जगत के पथ प्रदर्शक : कमरो

स्वर्गीय बिसाहू दास महंत की जयंती पर कांग्रेस जनों ने वृद्धा आश्रम में किया फल वितरण

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

मनेंद्रगढ़ (एमसीबी) । एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस जनों के द्वारा स्वर्गीय बिसाहू दास महंत की जयंती पर वृद्धा आश्रम में फल वितरण किया गया । कांग्रेस जनों ने स्वर्गीय बिसाहू दास महंत की छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की । इस दौरान भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब कमरों, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राजकुमार केसरवानी, सांसद प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह मखीजा, वरिष्ठ कांग्रेसी हारून मेमन, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर के अध्यक्ष राजेश शर्मा, प्रवक्ता शुध्दूलाल वर्मा, सौरभ मिश्रा, राजेश सिंह, संतोष अग्रवाल, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष हाफिज मेमन, संकेत शर्मा, राखी सिंह, शगुफ्ता बख्श, ममता सोनी, ज्योति मजमुदार सहित काफी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे । इस अवसर पर भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब कमरों एवं पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राजकुमार केसरवानी ने स्वर्गीय बिसाहू दास महंत के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि स्व. बिसाहू दास महंत का जन्म 01 अप्रैल 1924 को छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के ग्राम सारागांव में हुआ था। उनका जन्म छोटे किसान परिवार में हुआ था। जीवन संगिनी धर्मपत्नी जानकी देवी, दो पुत्र चरण दास महंत और राजेश महंत तथा चार बेटियों सहित संस्कारिक सुखी व समृद्ध परिवारिक विरासत थी। संत शिरोमणी कबीर साहेब के अनन्य अनुयायी रहे। जिसका गहरा प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा। शिक्षा और संस्कार पर विशेष ध्यान और जोर देते थे। पढ़ने और लिखने का काफी शौक

था। 1942 और 1947 के बीच अपने कॉलेज जीवन में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इस वजह से सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और उनकी छात्रवृत्ति को भी खारिज कर दिया था। सामाजिक सरोकार उनके स्वभाव व जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था । लोगों से मिलना जुलना उनके दुःख- सुख में शामिल होना अपने आसपास के लोगों की यथायोग्य मदद करना, अन्याय का सामूहिक ग्रामीण जन शक्ति के साथ विरोध करना, सामाजिक सरोकार को जीना उनके स्वभाव व जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी उनके आदर्श रहे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता और समाजिक सरोकार से जुड़े विषयों पर लेखन, चिंतन, विमर्श और चर्चा दैनिक जीवन चर्या थी। गांव और आसपास के लोग उनके व्यवहार, सदाचरण, सोच, बुद्धिमत्ता और सेवाभाव से बहुत प्रभावित थे। यही आचरण और व्यवहार ने बिसाहुदास महंत को उनका (ग्रामीण जनों का) एक स्वाभाविक जन नेता बना दिया था। बिसाहूदास महंत की राजनीति में कोई विशेष रुचि नहीं थी। लेकिन उनके व्यक्तित्व ने कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व को बहुत प्रभावित किया और देश की आजादी के बाद सन 1952 में पहलीबार नया बाराद्वार क्षेत्र से विधायक चुने गए। । तब से आजीवन 1978 तक विधायक और मंत्री रहे। सन 1967 से 1978 तक उनका चुनाव क्षेत्र चांपा रहा। 23 जुलाई 1978 को लगभग 54 वर्ष की उम्र में गृहनिवास सारागांव जिला जांजगीर चांपा में दीर्घ अस्वस्थता एवं हृदयाघात से निधन हो गया। सांसारिक जीवन को अलविदा कह गए। संत कबीर की वाणी को आत्म सात करते हुए बहुत ही शांत मुद्रा में अपनी करनी झ्र रहनी को यहीं संसार में निर्लेप भाव से छोड़कर बिना किसी वाद विवाद, दाग या बुराई के ह्लज्यों कीं त्यों धर दीन्हीं चदरियाह्व। लेकिन आज भी उनका व्यक्तित्व और कृतित्व राजनीति व सामाजिक जगत के लिए पथ प्रदर्शक है। गौरवशाली धरोहर और विरासत है। स्व. बिसाहु दास महंत की विरासत को उनके सुपुत्र डॉ चरण दास महंत पूरी निष्ठा से आगे बढ़ा रहे हैं और उसे समृद्ध कर रहे हैं। शांत, सरल और शालीन स्वभाव के चरण दास महंत पिता के संस्कार, आदर्श, अनुशासन, अध्यात्मिक ज्ञान, गुरू संत शिरोमणी श्री कबीर साहेब के प्रति संपूर्ण समर्पण, सामाजिक सरोकार, लेखन, पठन और छोटे बड़े सभी के प्रति समान आदर भाव, ह्य न काहू से दोस्ती न काहू से बैर ह्व (कोई विरोधी नहीं, कोई शत्रु नहीं) सभी के प्रति मित्रवत व्यवहार उन्हें अतिशीघ्र एक आदर्श और सफल राजनेता के रूप स्थापित कर दिया। इसी सदाचरण और व्यवहार से लोग उनमें उनके पूज्य पिताश्री स्व. बिसाहु दास महंत की छवि देख सुखद स्मृतियों का अहसास करते हैं। सुपुत्र डॉ चरण दास महंत छत्तीसगढ़ विधान सभा के अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। कुलवधु श्रीमती ज्योत्सना महंत कोरबा लोकसभा सांसद हैं।

हर्षोल्लास के साथ मनाई गई महावीर जयंती

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

मनेन्द्रगढ़ । हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को महावीर जयंती मनाई जाती है। इस साल महावीर जयंती 03 अप्रैल को मनाई गई। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म बिहार के कुंडग्राम में हुआ था। भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। भगवान महावीर जैन धर्म के चौबीसवें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते है। इन्होंने लोगों को हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया था। भगवान महावीर स्वामी के जन्मदिन को लोग महावीर जयंती के रूप में मनाते है। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने राज महलों के सुख को त्याग कर सत्य की खोज में जंगलों की ओर चले गए। घने जंगलों में रहते हुए इन्होंने बारह वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिसके बाद ऋजुबालुका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान महावीर ने समाज के सुधार और लोगों के कल्याण के लिए उपदेश देना शुरू कर दिया था। उन्होनें अपने उपदेशों में सत्य, असत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य पर बहुत अधिक जोर दिया था और साथ ही अहिंसा परमो धर्मः के संदेश को भी लोगों तक फैलाया था। महावीर जयंती के उपलक्ष में मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई तत्पश्चात विशाल शोभायात्रा श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर से शहर के मुख्य मार्गो से होते हुए श्री शांतिनाथ जिनालय मंदिर तक गई एवं वहां श्री जी का अभिषेक पूजन किया गया शोभा यात्रा का जगह-जगह भव्य स्वागत किया गया एवं पूरा शहर जियो और जीने दो के नारे से गुंजायमान हुआ। एवं संध्या को विशेष महा आरती का आयोजन श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में किया गया। इस दौरान जैन समाज के अनुयाई बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

सड़क बनने से क्षेत्र में विकास को लगेंगे पंख : कमरो

विधायक कमरो ने किया करोड़ों की लागत से बनने वाले सडक निर्माण कार्य का भूमि पूजन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

मनेन्द्रगढ़ । छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों के हितों के साथ प्राथमिकता से क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताओं, पुल-पुलिया, सडक, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा व्यवस्था, पर्यटन व संस्कृति पर कार्य हो रहे हैं। उक्त बातें सविप्रा उपाध्यक्ष राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त भरतपुर-सोनहत विधायक गुलाब कमरो ने ग्राम पंचायत चौघड़ा में सडक निर्माण कार्य के भूमि पूजन के दौरान कही। चौघड़ा में 5 करोड़ 59 लाख 92 हजार की लागत से मुख्य सडक से कलमडांड होकर चौघड़ा तक मार्ग का निर्माण किया जाएगा। आवागमन में हो रही परेशानियों को देखते हुए ग्रामीणों के द्वारा लंबे समय से सडक की मांग की जा रही थी। विधायक कमरो की पहल पर शासन द्वारा उक्त सडक निर्माण कार्य के लिए बड़ी राशि मंजूर किए जाने के उपरांत विधायक द्वारा विधिवत भूमि पूजन किया गया। उन्होंने समय पर एवं गुणवत्तापूर्ण सडक निर्माण की हिदायत देते हुए कहा कि पक्की सडक बनने से जहां लोग सहजतापूर्वक आवागमन कर सकेंगे वहीं क्षेत्र में विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा। विधायक ने कहा कि बुनियादी सुविधाओं से संबंधित सभी मांगें सरकार प्राथमिकता से पूर्ण कर रही है। गांव से लेकर शहर तक समान रूप से विकास कार्यों को गति दी जा रही है। इस अवसर पर जनपद उपाध्यक्ष राजेश साहू, मंडी अध्यक्ष अज्जू रवि, जनपद सदस्य कमली बाई रवि, सरपंच संतोष सिंह, अमोल सिंह मरावी, महेंद्र सिंह, पूर्व सरपंच अमर सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि व ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

विधायक ने फीता काटकर किया उप तहसील पेण्ड्री का उद्घाटन

प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप नवीन उप तहसील का शुभारंभ क्षेत्र के लोगों के लिए ऐतिहासिक और गौरव का पल है। इससेप्रशासन और जनता के बीच की दूरी जहां कम होगी वहीं राजस्व प्रकरणों केनिराकरण में गतिआएगी। उक्त बातें रविवार को सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त

भरतपुर-सोनहत विधायक गुलाब कमरो ने ग्राम पंचायत पेण्ड्री में नवीन उप तहसील के उद्घाट अवसर पर कही। विधायक कमरो एवं एमसीबी कलेक्टर पीएस ध्रुव ने विधिवत पूजा-अर्चना कर एवं फीता काटकर ग्राम पंचायत पेण्ड्री में नवीन उप तहसील का शुभारंभ किया। विधायक ने कहा कि प्रदेश के मुखिया समाज के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने दिन-रात समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं जिससे सरकार के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि वायदों के दम पर नहीं, बल्कि वायदों को पूरा कर एवं विकास कार्यों के दम पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इस अवसर पर मनेंद्रगढ़ एसडीएम अभिषेक कुमार, भरतपुर एसडीएम मूलचंद चोपड़ा, जनपद उपाध्यक्ष राजेश साहू, जनपद सदस्य सुभागिनी राय, रोशन सिंह, सरपंच नारायण पंडो, तहसीलदार केल्हारी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि व ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

विधायक व महापौर के अथक प्रयास से बहुप्रतीक्षित सड़क मार्ग का कार्य आरंभ

आमजनों को आवागमन के लिये क्षेत्र में मिलेगी बेहतर सुविधा .

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

चिरमिरी । नगर पालिक निगम चिरमिरी मे विकास की रफ़्तार को तेज करने और जनता को सुख सुविधा मुहैया करवाने के लिए मनेंद्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल, चिरमिरी निगम महापौर कंचन जायसवाल द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है । वे अपने-अपने क्षेत्र में जर्जर सड़को को डामरीकृत, बी.टी.रोड़ निर्माण के तहत उसका मरम्मतिकरण का कार्य करवा कर जनता को आवागमन के क्षेत्र मे सुविधा उपलब्ध करा रहे है। इसी क्रम में गेल्हापानी क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित जर्जर सड़क मार्ग को बी.टी. रोड़ नवीनीकरण के तहत डामरीकरण कार्य कराया जा रहा है । गेल्हापानी मुख्यमार्ग से बैकुंठपुर रोड़ तिराहा तक 25.00 लाख की लागत से बनने वाली निर्माणधीन सड़क का मनेंद्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल, निगम महापौर कंचन जायसवाल ने कार्यस्थल का जायजा लिया।

विधायक डॉक्टर विनय ने पूर्व सरकार ने 15 वर्षो के कार्यकाल में जिन कार्यो की मांग ने जोर पकड़ लिया था, उस पर यहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मौन साध रखा था, पर सरकार बदलते ही कांग्रेस की सरकार आते ही कठिन कार्यो को आसानी पूरा किया जा रहा और जनता की मांगों को पूरा करने में हम हर संभव मुखर है । महापौर कंचन जायसवाल ने बताया कि जर्जर हो चुकी सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण होने से यहां के रहवासियों सहित आवागमन करने वाले लोगों को भी काफी राहत मिलेगी । उन्होंने गेल्हापानी के नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि शहर विकास के लिए आप लोगों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने में कोई कसर नही छोडूंगी ।

कोरवा परिवार ने की सामूहिक आत्महत्या

जशपुर कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने बगीचा विकासखंड के सामरबार झुंमराडुमर गांव पहुंचकर मृतक के परिजनों से की मुलाकात, कारण का पता लगाने पुलिस कर रही है जांच

स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी मृतको का परिजनों की उपस्थिति में सामाजिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया

जिला प्रशासन द्वारा मृतक के परिजनों को हर संभव सहायता मिलने का भरोसा दिलाया

कोरवा परिवार को मिला था पक्का मकान, राशनकार्ड, आयुष्मान कार्ड, घर में बिजली की सुविधा मिली थी, परिवार करता था खेती भी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुर/कुनकुरी : बगीचा विकासखंड के ग्राम पंचायत सामरबार झुंमराडुमर पारा निवासी विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों के 35 वर्ष राजू राम पत्नी 22 वर्ष भिनसारी बालिका 3 वर्ष देवन्ती 1 वर्ष बालक देवन्त ने 1 अप्रैल की रात को आत्महत्या कर लिए हैं। जिला प्रशासन को खबर मिलते ही कलेक्टर डॉ रवि मित्तल गांव घटना स्थल पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात किए और परिजनों को प्रशासन द्वारा हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है। परिवार वालों ने बताया कि जिला प्रशासन ने परिवार के लिए अन्तोदय राशन कार्ड बनाकर दिया है। साथ ही मनरेगा के तहत जाब कार्ड बनाया है और कार्य करने के एवज में मजदूरी भुगतान किया गया। 19 मार्च 23 को उचित मूल्य दुकान से 35 किलो चावल, 2 किलो नमक, 2 किलो चना, 1 किलो शक्कर भी दिया है। परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। मकान बनकर तैयार है। जिला प्रशासन नें प्रभावित परिवार को हर संभव सहायता करनें का अश्वासन दिया है। एसडीएम बगीचा आर. पी. चौहान ने बताया कि परिवार के सभी सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। बच्चे कुपोषित नहीं है, उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र से रेडी टू ईट नियमित मिलता था। मृतक राजूराम का मकान पक्का है और उसे बिजली की भी सुविधा दी गई है। बीती रात पहाड़ी कोरवा राजू राम उसकी पत्नि भिंसारी ने अपने एक 3 साल और एक डेढ़ साल के बच्चे साथ सामूहिक आत्महत्या कर ली थी। रविवार की सुबह इसके घर के पास के एक पेड़ पर फांसी के फंदे में झूलते हुए इन चारो का शव देखा गया।

मनेंद्रगढ़ प्रेस क्लब के अध्यक्ष बने वरिष्ठ पत्रकार रामचरित द्विवेदी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

मनेन्द्रगढ़ । लंबे अरसे बाद प्रेस क्लब मनेंद्रगढ़ की एक बैठक मीडिया हाउस में आयोजित की गई. इस अवसर पर बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार मृत्युंजय चतुवेर्दी ने की. सर्वप्रथम सभी पत्रकारों ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्चना व दीप प्रज्वलन किया. इस मौके पर श्री चतुवेर्दी ने उपस्थित पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल के बाद से प्रेस क्लब के गठन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी. इसी को ध्यान में रखते हुए यह बैठक बुलाई गई है. इसी कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र अरोड़ा ने प्रेस क्लब अध्यक्ष के लिए रामचरित द्विवेदी के नाम का प्रस्ताव किया जिसका समर्थन वरिष्ठ पत्रकार शुध्दूलाल वर्मा एवं सभी साथियों ने करतल ध्वनि से किया. प्रेस क्लब का निर्विरोध अध्यक्ष बनने पर सभी पत्रकारों ने रामचरित द्विवेदी को अपनी शुभकामनायें दी. सभी सदस्यों की सहमति से संरक्षक मृत्युंजय चतुवेर्दी, नरेंद्र अरोड़ा, अध्यक्ष रामचरित द्विवेदी, सचिव शुद्धू लाल वर्मा, उपाध्यक्ष विनीत जायसवाल, मनीराम सोनी, कृष्णा वस्त्रकार , अमित श्रीवास्तव, प्रशांत तिवारी, सह सचिव सुरेश मिनोचा, संजय केशरवानी, कोषाध्यक्ष लक्ष्मीकांत जायसवाल व उप कोषाध्यक्ष के लिए रविन्द्र सोनी को जिम्मेदारी दी गई. कार्यकारिणी सदस्यों में विनय पांडे, सुरेंद्र मिनोचा, विनोद तिवारी, दिनेश द्विवेदी, चरण जीत सिंह सलूजा, राजा मिश्रा को नियुक्त किया गया. इस अवसर पर प्रेस क्लब के संरक्षक नरेंद्र अरोरा ने कहा कि पत्रकार का व्यक्तित्व ही उसकी पहचान होता है, और उसके व्यक्तित्व की पहचान उसके व्यवहार से होती है। इसलिए पत्रकारों का व्यवहार संयमित होना चाहिए। जिसका समाज अनुसरण करे।

विधायक कमरो ने किया 3 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

मनेन्द्रगढ़। सविप्रा उाध्यक्ष राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त विधायक गुलाब कमरो ने नगर पंचायत नई लेदरी में प्राथमिकता के आधार पर 3 करोड़ 1 लाख 34 हजार के 58 बहुप्रतीक्षित विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। विधायक ने कहा कि प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इस दौरान जनपद उपाध्यक्ष राजेश साहू, नेता प्रतिपक्ष संजीवन लाल, सुभाष यादव, रामसुमन मिश्रा, मकबूल अख्तर, शमीना खातून, सीएमओ अंजना वाईकिल्फ सहित जनप्रतिनिधि, पार्षद एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। विधायक कमरो द्वारा करोड़ों की लागत से स्वीकृत जिन विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया उनमें वार्ड क्र. 10 में 5 लाख 49 हजार की लागत से कोरिया नीर से समीर घर तक सीसी रोड निर्माण, इसी प्रकार वार्ड क्र. 2 मिलन चौक से चर्चा तक सीसी रोड 9 लाख 61 हजार, वार्ड क्र. 15 अब्दुल कलाम के घर से श्मशान घाट तक सीसी रोड 17 लाख 84 हजार, वार्ड क्र. 14 बंगाली दुकान से हाई स्कूल तक सीसी रोड 16 लाख 75 हजार, वार्ड क्र. 1 संजीवन लाल घर के सामने रिटनिंगवाल निर्माण 4 लाख 96 हजार, वार्ड क्र. 2 में चर्च से नागू के घर तक रिटनिंगवाल निर्माण 10 लाख 64 हजार, वार्ड क्र. 9 राजेश तिवारी के घर से आंगनबाड़ी तक रिटनिंगवाल 5 लाख 59 हजार, वार्ड क्र. 9 द्वारिका के घर से अरविंद के घर तक सीसी रोड 3 लाख 62 हजार, वार्ड क्र. 1 शंभू के घर से हीरालाल के घर तक सीसी रोड 2 लाख 31 हजार, वार्ड क्र. 1 जीवन एक्का के घर से मेन रोड तक सीसी रोड 8 लाख 61 हजार, वार्ड क्र. 5 बब्बू के घर से आंगनबाड़ी तक सीसी रोड 2 लाख 79 हजार, वार्ड क्र. 1 शंभू के घर से मेन नाला तक आरसीसी नाली 2 लाख 44 हजार, वार्ड क्र. 3 अशोक के घर से शिवपाल के घर तक आरसीसी नाली 2 लाख 11 हजार, वार्ड क्र. 11 सरोज के घर से मेन नाला तक आरसीसी नाली 1 लाख 63 हजार, वार्ड क्र. 4 खुर्शीद के घर से रामहित के

घर तक आरसीसी नाली निर्माण 3 लाख 84 हजार, वार्ड क्र. 3 छेदीदास के घर से मेन नाला तक आरसीसी नाली निर्माण 87 हजार, वार्ड क्र. 11 राजकुमार के घर से विनोद के घर तक आरसीसी नाली निर्माण 3 लाख 84 हजार, वार्ड क्र. 7 छोटेलाल के घर से हेमंत के घर तक आरसीसी नाली निर्माण 88 हजार, वार्ड क्र. 5 कुर्बान के घर से मेन नाला तक आरसीसी नाली निर्माण 3 लाख 98 हजार, वार्ड क्र. 1 पुल से मेन रोड तक सीसी रोड 3 लाख 74 हजार, वार्ड क्र. 8 पंप हाउस से छठ घाट तक सीसी रोड निर्माण 9 लाख 14 हजार, वार्ड क्र. 11 काली मंदिर से मेन रोड तक सीसी रोड निर्माण 5 लाख 45 हजार, वार्ड क्र. 15 में दीपक के घर से रामधारी के घर तक सीसी रोड निर्माण 4 लाख 87 हजार, वार्ड क्र. 15 में मगरदहा नाला से गौठान तक स्ट्रीट लाइट कार्य 19 लाख 71 हजार, वार्ड क्र. 12 चंद्रभान के घर से मेन रोड तक सीसी रोड 7 लाख 34 हजार, वार्ड क्र. 10 हाई स्कूल से नागमाड़ा तक स्ट्रीट लाइट कार्य 9 लाख 92 हजार, वार्ड क्र. 12 प्रायमरी स्कूल से मेन रोड तक आरसीसी नाली निर्माण 1 लाख 91 हजार, वार्ड क्र. 12 सिद्धबाबा मंदिर के पास शेड निर्माण 2 लाख 11 हजार, वार्ड क्र. 8 छठ घाट से डोडही तक आरसीसी नाली निर्माण 8 लाख 3 हजार, वार्ड क्र. 4 मुक्तिधाम शेड निर्माण 4 लाख 45 हजार, वार्ड क्र. 6 केंवट पंडाल के पास शेड निर्माण 4 लाख 29 हजार, वार्ड क्र. 2 राजकुमार प्यारेलाल के घर तक आरसीसी नाली निर्माण 4 लाख 93 हजार, वार्ड क्र. 8 शिव मंदिर के पास शेड निर्माण 3 लाख 94 हजार, वार्ड क्र. 14 रामलाल के घर से नाला तक सीसी रोड 1 लाख 47 हजार, वार्ड क्र. 4 लख्खू के घर से इमली पेड़ तक सीसी रोड 5 लाख 15 हजार, वार्ड क्र. 15 हंसराज के घर से राजे के घर तक सीसी रोड निर्माण 3 लाख 54 हजार, वार्ड क्र. 5 दुर्गा पंडाल के सामने शेड निर्माण 13 लाख 35 हजार, वार्ड क्र. 11 अजय विश्वकर्मा के घर के पास शेड निर्माण 2 लाख, वार्ड क्र. 6 बंगाल स्टोर के बगल में सीसी रोड 1 लाख, वार्ड क्र. 2 ऑटो स्टैंड के पास शेड निर्माण डेढ़ लाख, वार्ड क्र. 2 मस्जिद के सामने अतिरिक्त कक्ष निर्माण 9 लाख 37 हजार, वार्ड क्र. 2 मदरसा के पास आहाता निर्माण 3 लाख 7 हजार, वार्ड क्र. 12 पुरानी लेदरी में प्राथमिक शाला के बगल में सांस्कृतिक शेड निर्माण लाख, वार्ड क्र. 12 मिनी पार्क का निर्माण एवं स्व. बिसाहू दास महंत की प्रतिमा स्थापना 6 लाख, वार्ड क्र. 10 आंबा से मेन रोड तक सीसी रोड 5 लाख 62 हजार, वार्ड क्र. 10 गायत्री के घर से कमल के घर तक सीसी रोड 2 लाख 56 हजार, वार्ड क्र. 15 कृपाशंकर के घर से कविता के घ्र तक आरसीसी नाली निर्माण 2 लाख 79 हजार, वार्ड क्र. 7 ढोढी के पास रिटनिंगवाल 10 लाख 32 हजार, वार्ड क्र. 10 केच बंगला के पास सीसी रोड 1 लाख, वार्ड क्र. 2 टेकचंद होटल के पास शेड निर्माण 2 लाख, वार्ड क्र. 8 श्यामसुंदर मिश्रा के घर के पीछे से पीपल पेड़ तक सीसी रोड एवं रिटनिंगवाल 2 लाख 40 हजार, वार्ड क्र. 15 सदानंद के घर से मेन नाला तक आरसीसी नाली 3 लाख, वार्ड क्र. 15 रामबदन के घर से मेन नाला तक आरसीसी नाली 2 लाख, वार्ड क्र. 8 बबीता के घर से रामायण दास के घर तक स्ट्रीट लाइट 2 लाख 58 हजार, शिवपाल के घरसे अशोक चंपक के घर तक रिटनिंगवाल एवं पीसीसी कार्य 7 लाख 33 हजार, फारूख बाड़ा के आगे रिटनिंगवाल 3 लाख 87 हजार, तेजबली के घर से आंगनबाड़ी तक सीसी रोड 2 लाख 93 हजार एवं द्वारिका के घर से पोल्ट्री फॉर्म तक सीसी रोड का निर्माण 6 लाख 86 हजार रूपए की लागत से कराए जाएंगे।

Created by Universal Document Converter

नफरती बोल यानी हेट स्पीच पर सर्वोच्च अदालत की तल्ख टिप्पणी को गंभीरता से लेने की जरूरत है। देश की राजनीतिक फिजा में घुल रहे जहरीले बोल देश की एकता-अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। देश के नेताओं और धार्मिक लोगों को सोचना चाहिए कि वे देश के माहौल में नफरत घोल कर क्या हासिल कर लेंगे। देश के सामाजिक व सांप्रदायिक तानाबाना को बनाए रखना सभी भारतीयों की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीति को धर्म से अलग करना जरूरी है। सवाल है कि लेकिन कैसे? सरकारें हेट स्पीच को लेकर सख्त कार्रवाई करती नहीं हैं या बहुत कम करती हैं, लोगों में कानून का भय नहीं है। हेट स्पीच को लेकर आजकल का यह अंक...

हेट स्पीच पर राष्ट्रीय बहस हो

विश्लेषण
प्रमोद जोशी
वरिष्ठ पत्रकार

> **सुप्रीम कोर्ट को इस विषय पर विचार करते समय हेट स्पीच की परिभाषा भी तय करनी होगी या केंद्र सरकार को इस आशय का निर्देश देना होगा। कुछ याचिकाओं में इस आशय की माँग भी की गई है। देश में हेट स्पीच का कोई कानून नहीं है। आमतौर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए और बी के अलावा धारा 195ए के तहत फैसले किए जाते हैं। विधि आयोग ने 2017 में अपनी 267वीं रिपोर्ट में कहा कि कानून की अनेक सामान्य व्यवस्थाओं के कारण अदालतों के सामने हेट स्पीच के मामलों में दिक्कत होती है। हेट स्पीच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर भी सफाई की जरूरत है।**

सुप्रीम कोर्ट में गत 29 मार्च को जस्टिस केएम जोसफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने हेट स्पीच मामले पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि जिस दिन राजनीति और धर्म अलग हो जाएंगे, और नेता राजनीति में धर्म का उपयोग करना बंद कर देंगे, उसी दिन नफरत फैलाने वाले भाषण भी बंद हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हम अपने हाल के फैसलों में भी कह चुके हैं कि पॉलिटिक्स को राजनीति के साथ मिलाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। वहीं, जस्टिस बीवी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी की मिसाल देते हुए कहा, 'वाजपेयी और नेहरू को याद कीजिए, जिन्हें सुनने के लिए लोग दूर-दराज से एकत्र होते थे। हम कहां जा रहे हैं?' इसके पहले अदालत कह चुकी है कि खबरिया चैनलों के एंकर अपने कार्यक्रमों के माध्यम से हेट स्पीच परोसते रहे हैं। खंडपीठ ने नफरती भाषण देने वाले लोगों पर सख्त आपत्ति जताते हुए सवाल किया है कि लोग खुद को काबू में क्यों नहीं रखते हैं? यह 'काबू' शब्द भी विचारणीय है। हेट स्पीच क्या बेकाबू होकर होती है या सोच-समझकर?

किसकी हेट स्पीच?

सुप्रीम कोर्ट में इस प्रश्न पर चल रही बहस को गौर से सुनने की जरूरत है। इस बहस के साथ देश की राजनीति, प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़े हैं। ऐसे तमाम प्रश्नों पर हमें विचार करना चाहिए। केरल के पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके मांग की है कि वह देशभर में हुई हेट स्पीच की घटनाओं की निष्पक्ष, विश्वसनीय और स्वतंत्र जांच के लिए केंद्र सरकार को निर्देशित करें। भारत में मुसलमानों को डराने-धमकाने के चलन को तुरंत रोका जाए। हालांकि, कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या मुसलमान ऐसे बयान नहीं दे रहे हैं?

और कुछ सवाल

अदालत की टिप्पणी पर केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र चुप नहीं है। केरल जैसे राज्य चुप थे, जब मई 2022 में पीएफआई (प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) की एक रैली में हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ नरसंहार के आह्वान किए गए थे। उन्होंने आश्चर्य जताया कि जब अदालत इस बारे में जानती थी, तो उसने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि तमिलनाडु में डीएमके के एक प्रवक्ता ने कहा था, 'जो भी पेरियार कहते थे, वह किया जाना चाहिए, यदि आप स्वतंत्रता चाहते हैं तो आपको सभी ब्राह्मणों की हत्या करनी होगी।' इस पर जैसे ही जस्टिस जोसफ हँसे, मेहता ने कहा, 'यह हँसी की बात नहीं है। मैं इसे हँसी में नहीं उड़ाऊँगा। इस आदमी के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है। इतना ही नहीं, वे एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रवक्ता बने हुए हैं।'

धर्म की राजनीति

उन्होंने केरल की एक क्लिप चलाने के लिए अदालत की

अनुमति माँगी, जहाँ मई 2022 में पीएफआई की रैली के दौरान एक बच्चे ने कथित तौर पर हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ नरसंहार के नारे लगाए थे, लेकिन अनुमति नहीं मिली। मेहता ने याचिकाकर्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि दुर्भाग्य से यह क्लिप केरल से हैं और याचिकाकर्ता केरल से हैं, लेकिन यह तथ्य अदालत के संज्ञान में नहीं ला रहे हैं। जस्टिस जोसफ ने कहा, 'बड़ी समस्या तब होती है, जब राजनेता सत्ता के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं।' मेहता ने कहा कि केरल की क्लिप का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है, यह 'शुद्ध और सरल धार्मिक घृणा से भरा भाषण था।' इस पर जस्टिस जोसफ ने कहा, 'इसका राजनीति से सब कुछ लेना-देना है। घृणा एक दुष्चक्र है। राज्य को कार्रवाई शुरू करनी होगी। जिस क्षण राजनीति और धर्म को अलग कर दिया जाएगा, यह सब बंद हो जाएगा।, राज्य निष्क्रिय नहीं हो सकता।'

राज्यों की भूमिका

नफरती बोल बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई न होने को लेकर महाराष्ट्र समेत अलग-अलग राज्यों के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। अक्तूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पुलिस प्रमुखों को औपचारिक शिकायतों का इंतजार किए बिना आपराधिक मामले दर्ज करके नफरत भरे भाषणों से जुड़े अपराधियों के खिलाफ 'तत्काल' स्वतः कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। अदालत ने यह भी चेतावनी दी थी कि इस अत्यंत गंभीर मुद्दे पर कार्रवाई करने में प्रशासन की ओर से कोई भी देरी अदालत की अवमानना को आमंत्रित करेगी। खंडपीठ के सामने उपरोक्त याचिका के अलावा हेट स्पीच से जुड़ी एक दर्जन के आसपास याचिकाएं और हैं। ऊपर कही गई बातें आमतौर पर इससे पहले भी कही जाती रही हैं, पर जस्टिस जोसफ की टिप्पणी ध्यान खींचती है। उन्होंने कहा, 'राज्य नपुंसक है। वह समय पर कार्रवाई नहीं करता। जब राज्य ऐसे मसलों पर चुप्पी साध लेगा तो फिर उनके होने का मतलब क्या है?'

राज्य या राजव्यवस्था?

उनकी इस बात का लोगों ने अपने-अपने तरीके से विश्लेषण किया है। 'राज्य' यानी स्टेट का मतलब राज्य सरकारें। 'राज्य'का व्यापक अर्थ भी होता है। राज्य के अंतर्गत सरकारें तो आती ही हैं, न्याय-व्यवस्था, विधायिका और अन्य संस्थाएं भी आती हैं। व्यापक अर्थ में राजनीति और समाज-व्यवस्था को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए। फिलहाल ऐसा लगता है कि अदालत का आशय राज्य सरकार से है। शाहीन अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट राज्यों को कई बार हेट स्पीच पर लगाम लगाने के आदेश दे चुका है। इसके बावजूद हिंदू संगठनों की हेट स्पीच पर लगाम लगाने में महाराष्ट्र सरकार विफल रही है। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील निजामुद्दीन पाशा ने कोर्ट में कहा कि महाराष्ट्र पुलिस को एक हिंदू संगठन के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। संगठन पिछले चार महीने में 50 से अधिक रैलियां आयोजित कर चुका है। पीठ ने अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया और इस पर सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तारीख तय की है।

हेट स्पीच की परिभाषा

सुप्रीम कोर्ट को इस विषय पर विचार करते समय हेट स्पीच की परिभाषा भी तय करनी होगी या केंद्र सरकार को इस आशय का निर्देश देना होगा। कुछ याचिकाओं में इस आशय की माँग भी की गई है। देश में हेट स्पीच का कोई कानून नहीं है। आमतौर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए और बी के अलावा धारा 195ए के तहत फैसले किए जाते हैं। विधि आयोग ने 2017 में अपनी 267वीं रिपोर्ट में कहा कि कानून की अनेक सामान्य व्यवस्थाओं के कारण अदालतों के सामने हेट स्पीच के मामलों में दिक्कत होती है। हेट स्पीच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर भी सफाई की जरूरत होगी। अक्सर लोग इसे अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानते हैं। हम व्यक्ति की स्वतंत्रता के हामी हैं, पर नहीं जानते कि इससे जुड़ी मर्यादाएं भी हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बंदिश लगाने के जोखिम भी हैं। संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीम नहीं है। उसपर विवेकशील पाबंदियाँ हैं। सिनेमाटोग्राफिक कानूनों के तहत सेंसरशिप की व्यवस्था भी है। इंटरनेट पर पहचान छिपाकर झूठ और आक्रामक विचार आसानी से फैलाए जा रहे हैं। ऐसे में भेदभाव बढ़ाने वाली भाषा को भी हेट-स्पीच के दायरे में रखा जाना चाहिए। सबसे ज्यादा भ्रामक जानकारियां फेसबुक, ट्विटर और वॉट्सएप जैसे प्लेटफॉर्मों के जरिए फैलती हैं। इनके खिलाफ सख्त कानून बनने से कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुलेगा, पर फ्री-स्पीच के समर्थक मानते हैं कि एंटी-हेट-स्पीच कानून का इस्तेमाल विरोधियों की आवाज दबाने के लिए किया जा सकता है।

टीवी की भूमिका

हालांकि देश में आजादी के पहले से ऐसे बयानों का चलन रहा है, पर 1992 में बाबरी विध्वंस के कुछ पहले से इन बयानों ने सामाजिक जीवन के ज्यादा बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। इस परिघटना के समांतर टीवी का प्रसार बढ़ा और न्यूज़ चैनलों ने अपनी टीआरपी और कमाई बढ़ाने के लिए इस ज़हर का इस्तेमाल करना शुरू किया है। नब्बे के दशक में लोग गलियों-चौराहों और पान की दुकानों पर ज़हर भरे भाषणों के टेपों को सुनते थे। विडंबना है कि हेट स्पीच रोकने के लिए देश में तब भी कानून थे और आज भी हैं, पर किसी को सजा मिलते नहीं देखा गया है। चौराहों, नुक्कड़ों और भिंडी-बाजार के स्वर और शब्दावली विद्वानों की संगोष्ठी जैसी शिष्ट-सौम्य नहीं होती। पर खुले गाली-गलौज को तो मछली बाजार भी नहीं सुनता। वह भाषा सोशल मीडिया में पहले प्रवेश कर गई थी, अब मुख्यधारा के मीडिया में भी सुनाई पड़ रही है।

लाइव प्रसारण

समाचार मीडिया को लाइव प्रसारण की जो छूट मिली है, उसने अति कर दी है। टीवी मीडिया और सोशल मीडिया बिना रेग्युलेशन के काम कर रहे हैं। उनका नियमन होना चाहिए। नब्बे के दशक में जब देश में निजी चैनल शुरू हुए थे, तब आमतौर पर टीवी हार्ड न्यूज़ या ब्रेकिंग न्यूज़ का मीडिया था। उसमें बहस या विमर्श

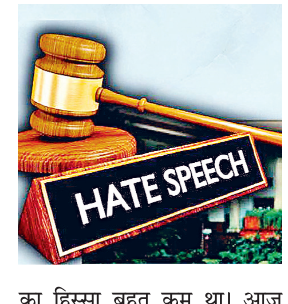

का हिस्सा बहुत कम था। आज हालत यह है कि आप दिन में जब भी टीवी खोलें, तो बहस होती नज़र आएगी। बहस में भागीदार भले ही दस हों, एंकर की कोशिश होती है कि एक पक्ष बनाम दूसरा पक्ष हो। वे चाहते हैं कि स्टूडियो में तनाव पैदा हो। लाइव टीवी शो के दौरान थप्पड़, लात और घूँसे भी चलते देखे गए हैं। सच यह है कि कार्यक्रमों की पटकथा एंकर नहीं लिखते। वह तो चैनलों का प्रबंधन तय करता है। उसे टीआरपी चाहिए, और शायद चैनलों की उथली समझ है कि टीबारपी सनसनी, तनाव और टकराव से मिलती है, यह पूर्ण सत्य नहीं है। आमिर खान के शो सत्यमेव जयते की टीआरपी टीची चैनल प्रबंधनों के सामने नजीर है।

राष्ट्रीय संवाद हो

हेट स्पीच पर राष्ट्रीय स्तर पर संवाद होना चाहिए, सार्थक बहस होनी चाहिए। अदालत के फैसले पर ही दशा व दिशा तय नहीं होनी चाहिए, बल्कि मीडिया से लेकर संसद तक हेट स्पीच के खतरे व उसे रोकने की जरूरतों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। अमृतकाल में जहां विकसित भारत का लक्ष्य है, वहां हेट स्पीच जैसे विभाजनकारी राजनीति बेहद खतरनाक है। नफरती बोल पर सरकारें हाथ पर हाथ धरे नहीं रह सकती हैं। अखंड भारत के सपने हेट स्पीच जैसे माहौल से पूरे नहीं हो सकते हैं।

आज का राशिफल

मेषः गणेशजी कहते हैं कि आज का दिन रोमांचक प्रतीत हो रहा है क्योंकि आपको अपने साथी के साथ कुछ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। आज आपके दिमाग में रोमांच होगा और आप अपने साथी के साथ एक आरामदायक, रोमांटिक डिनर डेट पर जाना चाहेंगे। आपका आकर्षण और स्पष्ट व्यवहार आपके साथी को आकर्षित और प्रभावित करेगा।

वृषभः गणेशजी कहते हैं कि आज आप अपने साथी के साथ बात करते या व्यवहार करते समय सावधान रहें क्योंकि आपके और आपके साथी के बीच बहस हो सकती है। कई तरह की असहमतियां होंगी, इसलिए समझौता करने के लिए तैयार रहें और अपने साथी के मिजाज से तालमेल बिठाएं। इससे पहले कि वे जटिल और बदसूरत हो जाएं, आपको छोटी-छोटी बातों पर अंकुश लगाना चाहिए।

मिथुनः गणेशजी कहते हैं कि आप काफी मेहनत कर रहे हैं और नौकरी की जिम्मेदारियों में व्यस्त और बंधे हुए हैं, लेकिन आज आप अपने प्रिय/साथी के साथ बिताने के लिए कुछ समय निकाल पाएंगे, जो बदले में आपका ध्यान आकर्षित करेगा। आपकी एकजुटता उल्लेखनीय होगी और भाईचारा और मजबूत होगा। बस आप स्वयं बनें और अपने साथी की चिंताओं को सुनें।

कर्कः गणेशजी कहते हैं कि आपके अपने साथी के साथ कुछ तर्क-वितर्क हो सकते हैं और आपको अपने कूटनीतिक रूप से सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। अपने साथी के रवैये और शैली से समझौता करना चाहिए। संक्षेप में, आज चीजें थोड़ी पेचीदा होंगी, इसलिए कृपया इस बारे में बहुत सावधान रहें कि आप परिस्थितियों से कैसे निपटते हैं। संयम बनाए रखें और पार्टनर से मीठी-मीठी बातें करें।

सिंहः गणेशजी कहते हैं कि प्यार और रिश्तों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए बहुत सकारात्मक रहेगा। अगर आप अविवाहित हैं और किसी को पसंद करते हैं तो आज आप प्रेम प्रस्ताव रख सकते हैं और किसी प्रतिबद्ध रिश्ते में बंध सकते हैं। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो आप इसे अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक खूबसूरत दिन है और आप इसके हर पल का आनंद लेंगे।

कन्याः गणेशजी कहते हैं कि आज का दिन आपके लिए तनावमुक्त रहेगा और आप अपने साथी के साथ हर पल का आनंद उठाएंगे। व्यावहारिक रूप से हर चीज के बारे में विस्तृत चर्चा पर ध्यान दें और अपने बंधन को मजबूत करने का लक्ष्य रखें। कृपया अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें क्योंकि थोड़ी सी भी चूक तनाव का कारण बन सकती है और अपने साथी को शांत करना कठिन होगा।

तुलाः गणेशजी कहते हैं कि लव लाइफ के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। आपको अपने साथी का समर्थन करना होगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें भावनात्मक समर्थन देना होगा। आपके साथी के लिए यह एक दुखद दिन हो सकता है इसलिए उनकी मानसिकता को समझें और किसी भी बहस से बचें। इसके बजाय, उसे शांत होने में मदद करें और चीजों को हल्के में लें।

वृश्चिकः गणेशजी कहते हैं कि रोमांटिक लाइफ के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा और आप साथी के साथ अपने रिश्ते का आनंद उठाएंगे। आपका जुनून अद्वितीय होगा, लेकिन अपने प्रिय से वैसी उम्मीद करना अन्याय होगा। अगर आप एक खुशहाल रिश्ता चाहते हैं, तो आपको कुछ यथार्थवादी उम्मीदें रखनी चाहिए और जो आपके पास है उसमें खुश रहना चाहिए।

धनुः गणेशजी कहते हैं कि यह आपके लिए एक खूबसूरत दिन है और आप अपने साथी से बहुत कुछ उम्मीद कर सकते हैं जैसे एक शानदार उपहार और भावनात्मक आवरण जो आपको खुश कर देगा। हालांकि, वह आपको विविध कार्यों में शामिल करने की कोशिश कर सकता है जो आपको परेशान कर सकते हैं लेकिन उनके दृष्टिकोण से सोचें, और सब कुछ समझ में आने लगेगा। साथ में कुछ प्यारा समय बिताने के लिए अपने प्रिय के साथ एक छोटी सी यात्रा की योजना बनाएं।

मकरः गणेशजी कहते हैं कि काम का दबाव आपके निजी जीवन को प्रभावित कर सकता है क्योंकि आप अपने समय को अपने काम और अपने साथी के बीच अच्छी तरह से विभाजित नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप अपनी भावनाओं को अपने साथी को अच्छे से न दिखाएं और वह निराश महसूस कर सकता/सकती है। कृपया अपनी चिंता को विनम्रता से समझाएं, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुल मिलाकर आप अपने पार्टनर के साथ खुश रहेंगे।

कुंभः गणेशजी कहते हैं कि लव लाइफ के लिए स्थिति थोड़ी पेचीदा हो सकती है। आप ऊब महसूस करेंगे, और प्रेम जीवन को नया रूप देने के लिए कदम उठाने की जिम्मेदारी आप पर होगी। अपने साथी के साथ कुछ मीठी बातों से शुरूआत करें, घर के कामों में उसकी मदद करें और एक सकारात्मक नोट पर दिन खत्म करने के लिए एक साथ रोमांटिक डिनर डेट पर जाएं। आपके प्रयासों की सराहना होगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा।

मीनः गणेशजी कहते हैं कि आप एक रिश्ते में रहे हैं, लेकिन जरूरी आकर्षण नहीं है। अपने प्रेमी को रिझाने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। धैर्य रखें और प्रयास करते रहें और एक बार जब प्रतिबद्धता आपके रिश्ते में आ जाती है, तो आपकी एकजुटता के लिए सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बेहद विनम्र रहें और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें।

नफरती बोल पर सरकारें निष्क्रिय क्यों

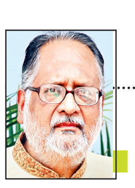

दो टूक
सुशील राजेश
वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक

सर्वोच्च अदालत में टिप्पणी की गई कि नफ़रती भाषण और बयानबाजी दिए जा रहे हैं, क्योंकि राज्य निष्क्रिय हैं। राज्य शक्तिहीन हैं। राज्य वक्त पर कार्रवाई नहीं करते। ऐसे नफ़रती बोल उसी क्षण रुक सकते हैं, जब राजनीति और धर्म को अलग-अलग कर दिया जाए। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना ने सवाल उठाया है कि आखिर हमें ऐसा राज्य क्यों चाहिए, जब सब कुछ नफ़रती हो रहा है?' न्यायाधीश की 'नपुंसक' वाली उपमा अतिरेकपूर्ण है। कमोबेश लोकतांत्रिक नहीं है। वह राज्य को कमज़ोर, अक्षम, अप्रभावी, अनिर्णायक आदि कुछ भी कह सकते थे, लेकिन 'नपुंसक' के मायने हैं कि परोक्ष रूप से देश की जनता जिम्मेदार है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही अपनी सरकार चुनती है। कोई भी नफ़रत के लिए जनता को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता। नफ़रती बयानबाजी दो पक्षों के बीच अधिक है। एक लगातार 'हिन्दू राष्ट्र' बनाने को लोगों को उकसा रहा है। लाखों की भीड़ जुटाई जा रही है। दूसरा पक्ष भी ऐसा है, जो जिसकी भाषा उन्मादी है, जो 'सरकलम' तक करने को उन्मादित है। सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी आदि समुदायों की ओर से नफ़रत के बोल अपवाद ही हो सकते हैं।

न्यायिक पीठ के सामने भारत सरकार के सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार नहीं, केरल सरकार खामोश है। मई, 2022 में पीएफआई ने एक रैली के दौरान आह्वान किए कि हिन्दुओं और ईसाइयों के नरसंहार कर दो। बेशक आज इस संगठन पर भारत सरकार की पाबंदी है, लेकिन ऐसे भड़काऊ और हत्यारे बयान आज भी फिजाओं में हैं। तुषार मेहता ने तमिलनाडु की द्रमुक पार्टी के एक प्रवक्ता का बयान उद्धृत किया, जिसके अंत में कहा गया था कि यदि तुम्हें समानता चाहिए, तो सारे ब्राह्मणों की हत्या कर दो।' संदर्भ पेरियार का था, जिस पर एक न्यायमूर्ति ने सवाल भी किया, लेकिन वह हंसते रहे। दरअसल ये नफ़रत ही नहीं, हिंसा और हत्या की पराकाष्ठा के बयान हैं। ऐसे बयानों पर अदालतों ने कभी स्वतः संज्ञान नहीं लिया, यह एक बेहद गंभीर सवाल है।

देश के आम चुनाव में शंकराचार्य, दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम रहे अब्दुल्ला बुखारी के अलावा मठाधीशों, पादरियों, साधु-संतों और फर्जी भगवानों ने भी, किसी न किसी पक्ष के लिए, प्रचार किए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी मारने-काटने की बात नहीं की। अरस्तु, चाणक्य से लेकर डॉ. राममनोहर लोहिया तक ने माना है कि धर्म और राजनीति परस्पर पूरक हैं, लिहाजा दोनों को अलग करना नफ़रती सियासत का कोई समाधान नहीं है।

दरअसल 1988 में हिमाचल के पालमपुर में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का जो प्रस्ताव पारित किया था, वहां से भारतीय राजनीति दोफाड़ हुई और 1996 तक आते-आते भाजपा सबसे ताकतवर पार्टी बन गई। वहीं से 'सांप्रदायिकता' और 'धर्मनिरपेक्षता' के राजनीतिक मुहावरे शुरू हो गए। भाजपा हिन्दूवादी पार्टी होने के कारण 'सांप्रदायिक' करार दी गई और धर्मनिरपेक्षता की छतरी के तले 'मुसलमान' बहुसंख्यक बन गए। दलों ने जातीय जनाधार के लिहाज से छोटे-छोटे समूहों को भी जोड़ लिया। दिसंबर,1992 में अयोध्या के विवादित ढांचे का गुंबद ढहा दिया गया और

मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के शासनकाल में सरकारी गोलीबारी में 16 हिन्दू कारसेवकों की हत्या करवा दी गई। यह विभाजन नासूर बनता गया है। यह राजनीति 1989 के बाद से आज तक जारी है। 'नफ़रती सियासत' आज की सच्चाई बन गई है। सभी दल इसके लिए दोषी हैं। हिन्दू-मुसलमान के दोफाड़ पर हमने कई सांप्रदायिक दंगों की बर्बरता भी देखी है। दरअसल आईपीसी की धारा 295-ए, 505(1) और (2), धारा 95 और जन-प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 में नफ़रती बयान, भाषण और व्यवहार के खिलाफ व्यापक प्रावधान हैं, लेकिन राज्य 'निष्क्रिय' इसलिए करार दिए जा सकते हैं, क्योंकि नफ़रती बयानों में धर्म का पुट भी होता है और उससे राजनीति फलती-फूलती है।

इस संदर्भ में दिसंबर, 2021 में हरिद्वार में आयोजित 'धर्म संसद' याद आती है। स्वामी प्रबोध आनन्द गिरि, नरसिंह आनन्द, कालीचरण और एक स्वयंभू भगवा वस्त्रधारी मां आदि ने इस्लाम और मुसलमान को ही निशाना बनाया। उन्होंने कहा-'हिन्दुओं को मारा गया है। आप (हिन्दू) या तो मरने के लिए तैयार रहें अथवा मारने के लिए। हिन्दू स्वामियों ने एक समुदाय विशेष को मारने के लिए हथियार धारण करने तक के आह्वान किए। ऐसे साधु-संत ही नहीं, बल्कि कुछ सांसद भी हिन्दुओं को 4-5 बच्चे पैदा करने के आग्रह करते रहे हैं, ताकि कभी ऐसा न हो कि हिन्दू भारत में ही 'अल्पसंख्यक' हो जाएं। पलट कर ऐसे बयानों ने नफ़रत ही बोई है। मुसलमानों के कुछ उन्मादी चेहरों ने हिन्दुओं के 'सरकलम' तक कर दिए और धमकियां अब भी जारी हैं। ओवैसी, मदनी, रज़ा, बर्क सरीखे मुस्लिम नेताओं और मौलाना-मुल्लाओं ने 'हिन्दूवाद' की राजनीति के 'तल्ख और भड़काऊ' जवाब दिए हैं। ऐसे चेहरों के लिए टीवी चैनलों के मंच सजाए जाते हैं, बहस और विमर्श की आड़ में जहां नफ़रत का ज़हर लगातार उगला जा रहा है। चूंकि सरकारें कोई दंडात्मक या कारगर कार्रवाई नहीं कर पातीं, लिहाजा न्यायाधीश ने राज्य को 'निष्क्रिय' ही करार दे दिया है। ऐसे धर्म को सियासत से अलग कैसे किया जा सकता है? राजनीतिक दलों के ये वोट बैंक हैं। हिन्दू हो या मुसलमान हो, यदि शीर्ष और प्रशासनिक स्तर पर संरक्षण नहीं होगा, तो नफ़रती बयानबाजी या भाषण संभव नहीं हैं।

भारत में मुस्लिम लीग, शिरोमणि अकाली दल, राम राज्य परिषद् और हिन्दू महासभा आदि ऐसे राजनीतिक दल आज भी सक्रिय हैं, बाकायदा चुनाव लड़ते हैं, आयोग में पंजीकृत हैं, जो पूर्णतः धर्म और सांप्रदायिकता के विघटनकारी आधार पर खड़े हैं। हालांकि 1976 में संविधान में 42वां संशोधन पारित कर भारत को 'पंथनिरपेक्ष' राज्य घोषित किया गया और इस नये विशेषण को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ दिया गया, फिर भी धर्म आधारित दल मौजूद हैं और ऐसे आरक्षण की मांग भी की जाती रही है। पंजाब का विभाजन हुआ, तो उसका बुनियादी आधार धार्मिक था। अकाली दल ने वह मांग मुखर की थी। नगालैंड में ईसाई पृथक राज्य की मांग भी धर्म के आधार पर करते रहे हैं। सिर्फ ऐसे ही चंद उदाहरणों के आधार पर पूछा जा सकता है कि राजनीति को धर्म से अलग कैसे किया जा सकता है? हमारे राज्यों या केंद्र सरकार की कैबिनेट बनाई जाती है, तो उनमें भी अल्पसंख्यक, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी, दलित आदि चेहरों को शामिल जरूर करना पड़ता है। यह बुनियादी तौर पर धर्म के कारण ही करना पड़ता है। हालांकि कुछ जातीय समीकरण भी होते हैं। मेरा मानना है कि नफ़रती बोल पर अंकुश शासन व कानून के जरिए ही लगाया जा सकता है। ऐसे तत्त्वों को अदालतें लंबी और कड़ी सजा दें। जुबान अपने आप सीधी हो जाएगी। राजनीति से धर्म को अलग करना एक लंबी व सतत प्रक्रिया है, इसे एक झटके में अलग करना व्यवहारिक रूप से मुमकिन नहीं है, इसलिए तब तक नफरती बोल को सहा नहीं जा सकता है। जरूरी है कि नफरती बोल को रोकने के लिए कठोर मैकेनिज्म बने।

आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए पिएं ये होममेड जूस

खराब लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट और लगातार स्क्रीन के सामने बैठकर काम करने से आंखें कमजोर होने लगती हैं। ऐसें में नजर का पॉवर बढ़ाने के लिए चश्मे का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप आंखों की रोशनी को तेज करना चाहते हैं तो कुछ घरेलू उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। आपको बता दें कि अपनी डाइट में कुछ खास होममेड जूस को शामिल करके आप अपने आंखों को कमजोर होने से बचा सकते हैं।

गाजर : आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी होता है। गाजर में विटामिन ए अधिक मात्रा में होता है जो आंखों के रेटिनल हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करता है। इस जूस को आप नाश्ते के वक्त भी पी सकते हैं।

पत्तेदार सब्जियां : अगर आप आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं तो हरी पत्तेदार सब्जियां इसमें आपकी मदद कर सकती हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां सेहत के लिए लाभदायक होती हैं, खासकर पालक। आंखों की हेल्थ के लिए आप अपनी डाइट में पालक का जूस जरूर शामिल करें। दरअसल पालक में विटामिन ए के अलावा विटामिन सी, विटामिन के, मैग्नीशियम, मैंगनीज और आयरन पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है।

आंवला : आंखों की रोशनी बढ़ाने में आंवले का जूस भी मददगार साबित हो सकता है। इसमें विटामिन सी अधिक मात्रा में होता है जो आंखों की रोशनी को बढ़ाने का काम करता है। इस जूस को पीने से इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है।

संतरा : सर्दियों में दिन में एक बार संतरे का जूस पीने से आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद मिलती है। संतरे का जूस न सिर्फ शरीर में विटामिन-ए की कमी को पूरा करता है बल्कि यह इम्यूनिटी को मजबूत बनाकर कई तरह की वायरल बीमारियों को भी दूर भगाता है।

टमाटर : आंखों की हेल्थ के लिए आप अपनी डाइट में टमाटर का जूस शामिल करें। इसमें न सिर्फ विटामिन-सी अधिक मात्रा में होती है बल्कि यह विटामिन ए का भी परिपूर्ण सोर्स है। आप चाहें तो इसे और टेस्टी बनाने के लिए गाजर के जूस में टमाटर को मिलाकर भी पी सकते हैं। इस जूस को पीने से आंखों से धुंधला दिखाई देने की समस्या कम होती है।

नींबू पानी : आंखों की तेज रोशनी के लिए अपने दिन की शुरूआत नींबू पानी के साथ करें। नींबू पानी न सिर्फ आंखों के लिए अच्छा होता है बल्कि यह पेट की समस्याओं को भी दूर रखता है। नींबू पानी से पाचन संबंधी समस्याओं में भी सुधार होता है।

लक्षण दिखने से पहले कोरोना का पता लगाएगी स्मार्टवॉच

आजकल के लाइफस्टाइल में जो लोग भी अपनी सेहत को लेकर जरा भी सतर्क हैं, वे जरूर ही स्मार्टवॉच या फिटनेस ट्रैकर का यूज करते होंगे। ये गैजेट आपको ये बताते हैं कि आप अभी तक कितने कदम चले हैं, आपने कितनी देर तक नींद ली या सुबह की एक्सरसाइज के वक्त आपकी हार्ट रेट क्या थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब इन्ही जानकारियों के आधार पर आपको ये भी पता चल सकता है कि आप कोरोना संक्रमित हैं या नहीं, वो भी लक्षण नजर आने से पहले? जी हां, ऐसा संभव है।

कैसे हुई स्टडी

रिसर्चर्स ने इस स्टडी के लिए 18 से 80 साल के 3300 वयस्कों के एंड्रायड या एप्पल डिवाइस में ये ऐप इंस्टाल किया। ऐप ने वयस्कों के पास पहले से मौजूद कलाई पर पहने हुए डिवाइस यानी स्मार्टवॉच या फिटनेस ट्रेकर से डेटा इकट्ठा किया और इसे एक सुरक्षित क्लाउड सर्वरपर भेज दिया। अब रिसर्सर्च इस क्लाउड सर्वर पर डेटा का एनालिसिस कर सकते थे। फिटबिट, एप्पल वॉच, गार्मिन डिवाइस और अन्य गैजेट्स में इस ऐप का इस्तेमाल किया गया। साइंटिस्टों ने प्रतिभागियों के कदमों की संख्या, हार्ट रेट और नींद के पैटर्न में बदलाव देखने के लिए एक एल्गोरिदम का यूज किया। अपेक्षा से अलग बदलाव का पता लगाने पर एल्गोरिदम अलर्ट भेजता है।

हार्ट रेट का डेटा : इस स्टडी में हार्ट रेट में आने वाले बदलावों के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है कि कैसे किसी व्यक्ति के इम्यून सिस्टम और हार्ट बीट एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोरोना से संक्रमित यूजर की धड़कन में बदलाव कम देखने को मिलता है, जबकि कोरोना निगेटिव यूजर्स के दिल की धड़कन में बदलाव देखने को मिलता है। हार्ट स्पीड में ज्यादा परिवर्तनशीलता इस ओर इशारा करती है कि यूजर का नवर्स सिस्टम काफी एक्टिव है। यह तनाव का सामना करने में ज्यादा प्रभावी हो सकता है।

तीन दिन पहले अलर्ट : इस स्टडी के दौरान, नवंबर 2020 से जुलाई 2021 तक 2155 से ज्यादा यूजर्स को रोजाना रीयल-टाइम अलर्ट मिले. साथ ही 2117 प्रतिभागियों ने कम से कम एक सर्वे पूरा किया। इनमें से उन 278 लोगों में से, जिन्हें संक्रमित होने का अलर्ट मिला इनमें से 84 प्रतिभागियों ने फिटबिट या एप्पल की वॉच पहनी हुई थी। इनमें से 60 लोगों को संक्रमण की संभावना का सुझाव देते हुए अलर्ट मिले। इन स्मार्टवॉच के जरिए इन लोगों में लक्षण विकसित होने से 3 दिन पहले एक असामान्य रीडिंग का पता लगाया गया।

जोड़ों के दर्द में ये घरेलू चीज आएगी बेहद काम जानें इस्तेमाल का तरीका

सर्दी का मौसम आते ही जोड़ों में दर्द की दिक्कत होना आम बात है। आज के दौर की लाइफ स्टाइल में ये दिक्कत अब केवल उम्र दराज लोगों को ही नहीं बल्कि युवाओं को भी काफी परेशान करने लगी है। इस दिक्कत से निजात पाने के लिए लोग तरह-तरह के एलोपैथिक दवाओं की मदद लेते हैं और तमाम तरह के तेलों की मालिश के लिए काफी पैसा खर्च करते हैं। इसके बावजूद भी कई बार जोड़ों के दर्द से निजात पाना लोगों के लिए आसान नहीं होता है। ऐसे में आप जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए एक ऐसी घरेलू चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं. जो बेहद ही किफायती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो चीज क्या है? तो आपको बता दें कि वो नार्मल सी चीज है हल्दी, जो आसानी के साथ हर किसी के घर में मिल ही जाती है।

ऐसे तैयार करें हल्दी पेस्ट

जोड़ों के दर्द से निजात पाने के लिए आप किसी पैन में एक चम्मच हल्दी लें और इसमें एक चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स कर पेस्ट बना लें। इस बात का ध्यान रखें कि दोनों की मात्रा आपको समान रखनी है। अब पैन को गैस पर रखकर इस पेस्ट को दो मिनट के लिए गर्म करें। इसके बाद गैस को बंद कर दें और इसमें एक चम्मच सरसों या तिल का तेल भी एड कर दें। फिर इस पेस्ट का इस्तेमाल जोड़ों पर करें।

इस तरह करें इस्तेमाल

जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए आप हल्दी के पेस्ट को जोड़ों पर उस जगह पर लगाएं जिस जगह दर्द हो रहा हो। इसके बाद लगभग पांच-सात मिनट तक हल्के हाथों से उस जगह की मसाज करें। फिर इस जगह पर कुछ देर के लिए हल्के गर्म कपड़े से सिकाई भी करें। इसके बाद आप प्रभावित एरिया को गर्म पट्टी से कवर कर दें। इस पेस्ट का इस्तेमाल दिन में कम से कम दो बार करें। आप इस पेस्ट का इस्तेमाल अगर रात में सोने से पहले करें तो और भी बेहतर रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको गर्म पट्टी से जोड़ों को रात भर के लिए कवर करके रखना होगा।

हड्डियों की कमजोरी का पता लगाना हो तो करवाएं ये टेस्ट

हड्डियों और जोड़ों का दर्द आज के दौर में बेहद आम बात हो गयी है। उम्रदराज लोग ही नहीं कम उम्र के युवा भी हड्डियों के दर्द से अछूते नहीं हैं। आज के दौर की लाइफ स्टाइल और खानपान के चलते ज्यादातर लोग इससे निजात पाने के लिए डॉक्टर के पास जाने की बजाय घर पर ही तरह-तरह के ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में आपको इस दिक्कत से निजात पाने के लिए हड्डियों की जांच करवाने के जरूरत है। हड्डियों की मजबूती और दर्द की वजह का पता लगाने के लिए आप बोन मिनरल डेंसिटी (बीएमडी) टेस्ट करवा सकते हैं।

क्या है बीएमडी टेस्ट

बोन मिनरल डेंसिटी (बीएमडी) टेस्ट हड्डियों की मजबूती की जांच के लिए करवाया जाता है। इस टेस्ट के जरिये ड्यूअल एनर्जी एक्स-रे एब्जॉर्पटियोमेट्री (डेक्सा) मशीन की मदद से हड्डियों के घनत्व यानी डेंसिटी को परखा जाता है।

पैनक्रिएटिक कैंसर का इलाज होगा आसान, कीमोथेरेपी बनेगी ज्यादा प्रभावी

दुनिया की सबसे जानलेवा बीमारियों में से एक कैंसर बॉडी के अलग-अलग पार्ट पर वार करके शरीर में प्रवेश करता है। वैसे तो किसी भी बॉडी पार्ट में हुए कैंसर का इलाज मुश्किल होता है। लेकिन पैनक्रियाज के केस में इसका इलाज ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पैनक्रियाज के मामले में जब तक इसका पता चलता है, ये काफी फैल चुका होता है। मेडिकल भाषा में कहें तो ये कैंसर एडवांस्ड स्टेज में पहुंच चुका होता है। ऐसे में डायग्नोस के बाद मरीज मुश्किल से एक साल तक ही जीवित रह पाता है। ऐसी स्थिति में बहुत तेज कीमोथेरेपी ही इलाज के एक ऑप्शन के रूप में दिखाई देती है। लेकिन इसके साइड इफैक्ट्स इतने हैं, सोचते हुए भी घबराहट होती है। कैंसर के कई ट्यूमर तो ऐसे होते हैं जिन पर कीमोथेरेपी का असर तक नहीं होता है।

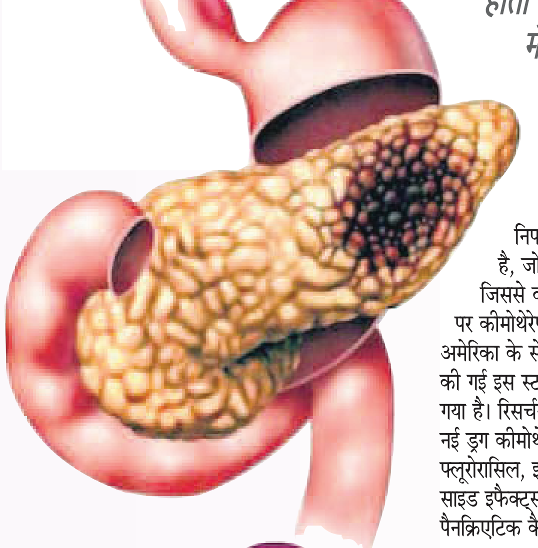

ड्रग कंपाउंड की पहचान : इन स्थितियों से निपटने के लिए साइंटिस्टों ने एक ऐसे ड्रग कंपाउंड की पहचान की है, जो पैनक्रिएटिक कैंसर सेल को इस तरह से कमजोर बना देता है, जिससे वो कीमोथेरेपी के प्रति संवेदनशील हो जाता है। मतलब ट्यूमर पर कीमोथेरेपी का प्रभावी असर होता है और साइड इफैक्ट भी कम होते हैं। अमेरिका के सेंट लुईस स्थित वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन द्वारा की गई इस स्टडी को ह्यसाइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित किया गया है। रिसर्चर्स का कहना है कि चूहों पर की गई स्टडी में पाया गया है कि ये नई ड्रग कीमोथेरेपी कॉकटेल फोल्फिरिनाक्स यानी फोलिनिक एसिड, 5-फ्लूरोरासिल, इरिनोटेकन और आक्साप्लिप्टिन के कॉम्बिनेशन से होने वाले साइड इफैक्ट्स को बहुत हद तक कम देता है। दवा का ये कॉम्बिनेशन पैनक्रिएटिक कैंसर के इलाज में आमतौर पर इस्तेमाल होता है।

क्या कहते हैं जानकार : वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में एसोसिएट प्रोफेसर, कैंसर स्पेशलिस्ट और इस रिसर्च के सीनियर राइटर कियान एच लिम का कहना है, मौजूदा स्थितियों को देखते हुए पैनक्रिएटिक कैंसर के इलाज के लिए नई और बेहतर थेरेपी की बड़ी जरूरत है। हम अभी जिस पॉवरफुल दवा का इस्तेमाल करते हैं, वे हमेशा गंभीर साइड इफेक्ट पैदा करती है, जिससे कि ज्यादा कीमोथेरेपी लगभग असंभव हो जाती है। लेकिन ये नई दवा कैंसर सेल को कमजोर कर देती है, जिससे वह इस खास कीमोथेरेपी के लिए उसे (कैंसर सेल को) संवेदनशील बना देती है। दरअसल, प्रयोग के दौरान पाया गया कि जिन चूहों को इस दवा के साथ कीमोथेरेपी दी गई, वे सिर्फ कीमोथेरेपी पाने वाले चूहों की तुलना में ज्यादा हेल्दी दिखे। इससे पता चलता है कि यह नई दवा कीमोथेरेपी के साइड इफैक्ट्स को कम करती है।

क्या होते हैं साइटइफैक्ट्स : फोल्फिरिनाक्स पैनक्रिएटिक कैंसर का सबसे पहला इलाज है, लेकिन देखा गया है कि इसके इस्तेमाल से मुश्किल से 3 में से केवल 1 मरीज में ही ट्यूमर छोटा हुआ। इतना ही नहीं, इसका इफैक्ट भी 6 से 7 महीने तक ही होता है। इसके कुछ कॉमन साइड इफैक्ट्स भी होते हैं, जैसे- मिचली, उल्टी, दस्त, थकान, बालों का झड़ना, खून की कमी और भूख कम लगने के रूप में सामने आते हैं।

क्या है ये दवा : वैज्ञानिकों को पता चला कि एमके2 नाम का एक ऐसा मॉलीक्यूल है, जो पैनक्रिएटिक ट्यूमर सेल को कीमोथेरेपी से बचने में मदद करता है। यह मॉलीक्यूल पैनक्रिएटिक कैंसर सेल में काफी एक्टिव होता है, जो कीमोथेरेपी के सिग्नल का रास्ता बदल देता है, जिससे कि कैंसर सेल्स बच जाते हैं। एटीआइ-450 नाम की ये दवा एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन कम करने वाली दवा है और रूमेटाइड गठिया के इलाज के लिए भी इसका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। एटीआइ-450 इसलिए भी खास है, क्योंकि यह एमके2 इन्हीबिटर (प्रतिरोधक) है। इसलिए जब नई दवा से एमके2 के कामकाज को बाधित किया गया तो चूहों में कीमोथेरेपी का असर ज्यादा हुआ।

कोरवा परिवार ने की सामूहिक आत्महत्या, कलेक्टर ने बगीचा वि.खंड के झुंमराडुमर गांव पहूचकर मृतक के परिजनों से की मुलाकात

स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी मृतको का परिजनों की उपस्थिति में सामाजिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया

कारण का पता लगाने पुलिस कर रही है जांच, जिला प्रशासन द्वारा मृतक के परिजनों को हर संभव सहायता मिलने का भरोसा दिलाया, कोरवा परिवार को मिला था पक्का मकान, राशनकार्ड, आयुष्मान कार्ड, घर में बिजली की सुविधा मिली थी, परिवार करता था खेती भी

छ.ग.फ्रंटलाइन, कुनकुरी। बगीचा विकासखंड के ग्राम पंचायत सामरबार झुंमराडुमर पारा निवासी विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों के 35 वर्ष राजू राम पत्नी 22 वर्ष भिनसारी बालिका 3 वर्ष देवन्ती 1 वर्ष बालक देवन्त ने 1 अप्रैल की रात को आत्महत्या कर लिए हैं। जिला प्रशासन को खबर मिलते ही कलेक्टर डॉ रवि मित्तल गांव घटना स्थल पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात किए और परिजनों को प्रशासन द्वारा हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है। परिवार वालों ने बताया कि जिला प्रशासन ने परिवार के लिए अन्तोदय राशन कार्ड बनाकर दिया है। साथ ही मनरेगा के तहत जाब कार्ड बनाया है और कार्य करने के एवज में मजदूरी भुगतान किया गया। 19 मार्च 23 को उचित मूल्य दुकान से 35 किलो चावल, 2 किलो नमक, 2 किलो चना, 1 किलो शक्कर भी दिया है। परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। मकान बनकर तैयार है। जिला प्रशासन नें प्रभावित परिवार को हर संभव सहायता करनें का अश्वासन दिया है। एसडीएम बगीचा आर. पी. चौहान ने बताया कि परिवार के सभी सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। बच्चे कुपोषित नहीं है, उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र से रेडी टू ईट नियमित मिलता था। मृतक राजूराम का मकान पक्का है और उसे बिजली की भी सुविधा दी गई है। बीती रात पहाड़ी कोरवा राजू राम उसकी पत्नि भिंसारी ने अपने एक 3 साल और एक डेढ़ साल के बच्चे साथ सामूहिक आत्महत्या कर ली थी। रविवार की सुबह इसके घर के पास के एक पेड़ पर फांसी के फंदे में झूलते हुए इन चारो का शव देखा गया। ग्रामीणों की सूचना पर सबसे पहले बगीचा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच की कार्यवाही कर रही है। जिले के बगीचा में पहाड़ी कोरवा परिवार द्वारा किए गए सामूहिक आत्महत्या के कारणो का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। आत्महत्या से पहले क्या हुआ, किन परिस्थितियों में इस परिवार ने इतना बड़ा कदम उठाया इसकी तहकीकात करने कलेक्टर रवि मित्तल पूरी टीम के साथ घटनास्थल पहुंच गए हैं। मृतको को जानने वाले, उनके रिश्तेदार सहित कुछ लोगों से पुलिस बयान लेकर मामले की जांच कर रही है, कोरवा परिवार द्वारा इतना बड़ा कदम उठाये जाने के कारण का पता लगाया जा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समाज की संरक्षक पंडरी बाई ने कहा कि जिला प्रशासन मृतक परिवार को पूरा सहयोग कर रहा है, छत्तीसगढ़ शासन की योजना का नियमित लाभ मिल रहा था कोरवा परिवार को विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा मनोरा विकास खंड की समाज संरक्षक पंडरी बाई ने बताया कि बगीचा विकास खंड ग्राम पंचायत सामरबार झुंमराडुमर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने बताया की जिला प्रशासन परिवार के साथ खड़ी और हर संभव सहायता पहुचा रहीं हैं। प्रभावित परिवार का अन्तोदय राशनकार्ड बना है। परिवार को हर माह 35 किलो चावल, शक्कर,नमक,चना उचित मूल्य दुकान के माध्यम से दिया जा रहा था। पंडरी बाईं ने बताया कि मृतक एक दिन पूर्व अपने ससुराल गया था और अपनी सास को साड़ी और कुछ पैसे देकर भी आया है। उन्होंने बताया कि परिवार का आयुष्मान कार्ड बना है। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी। दोनों बच्चे सुपोषित है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पका मकान मिला है। खेती बाड़ी भी करते थे। स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी मृतको का परिजनों की उपस्थिति में सामाजिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। कोरवा परिवार ने की सामूहिक आत्महत्या मामले में प्रबल प्रताप सिंह जूदेव का बयान कहा प्रदेश की कांग्रेस सरकार में सबसे ज्यादा प्रताड़ित एवं यातनाएं सहने वाले आदिवासी एवं पहाड़ी कोरवा समाज के लोग जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के चार सदस्यों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली है। मिली जानकारी अनुसार घटना सम्हार बहार का है, यहां के झूमरा डूमर बस्ती के पहाड़ी कोरवा परिवार के चार सदस्यों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बगीचा थाना के सब इंस्पेक्टर साहनी ने जानकारी दी है कि फांसी लगाने वाले पति पत्नी और दो बच्चे है। मृतक पहाड़ी कोरवा समाज के हैं। सामूहिक आत्महत्या मामले में पहाड़ी कोरवाओं के संरक्षक एवं प्रदेश के भाजपा नेता प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने मृतक परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मैं बार बार एक ही बात निरंतर दोहराता हूँ छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार सम्पूर्ण नाकामयाब और संवेदनहीन हो चुकी है, जिसका साक्षात उदाहरण बगीचा विकासखंड का सामूहिक आत्महत्या है, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों की सदैव से अनदेखी कर रहे है शासन एवं प्रशासन में बैठे लोग, अब इनके मौत का जिम्मेदार भी यही लोग है। प्रबल जुदेव ने आगे कहा कि बगीचा क्षेत्र के लोगो ने बताया कि इनके मौत के कारणों का अभी तक प्रत्यक्ष प्रमाण नही है किंतु लोगो के अनुसार पूरा परिवार भूख और आर्थिक तंगी से जूझ रहा था इसलिये ऐसा कदम पूरा परिवार उठाया है, और लोगो ने बताया कि शासकीय योजनाओं के लाभ भी नही मिल रहा था, यह सभी बातें जांच के स्पष्ठ होगी फिर भी आज के इस युग मे भूख से सामूहिक आत्महत्या की बात आना शासन के साथ साथ सम्पूर्ण हम समाज के लोगो के मुह में करारा तमाचा से कम नही है, इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस की सरकार में सबसे ज्यादा प्रताड़ित एवं यातनाएं सहने वाले मेरे आदिवासी एवं पहाड़ी कोरवा के समाज के लोग है। चाहे वह बस्तर जिले का मामला हो या फिर जशपुर जिले का मामला हो। प्रदेश में बैठी कांग्रेस की निक्कमी सरकार एक लक्ष्य बनाकर विशेष जाती समुदाय के लोगों के साथ अन्याय कर रही है।आज मेरे पहाड़ी कोरवा समाज के लोग प्रदेश कांग्रेस सरकार की योजनाओं से वंचित है, जिसकी वजह से एक ही परिवार के चार सदस्यों ने आत्महत्या कर अपनी जान दे दी। प्रबल जूदेव ने कहा छः महीने और जितना प्रदेश वासियों के साथ अन्याय अत्यचार करना है कर ले प्रदेश कांग्रेस की सरकार, इसका जवाब आगामी विधानसभा होने वाले चुनाव में दिया जाएगा। पहाड़ी कोरवा परिवार सामुहिक आत्महत्या प्रकरण की जांच हेतु भारतीय जनता पार्टी ने पांच सदस्यीय जांच टीम का किया गठन, जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में अपनी रिपोर्ट करेंगे प्रस्तुत जिले के बगीचा थाना क्षेत्र के सामरबार में पहाड़ी कोरवा परिवार के चार लोगों के सामुहिक आत्महत्या के मामले की जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पांच सदस्यी जांच टीम का गठन किया है। जांच टीम,इस सामूहिक आत्महत्या का कारण की जांच कर,सोमवार को जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में अपनी रिपोर्ट,पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनिल गुप्ता को सौपगी। जानकारी देते हुए,जिला मिडिया प्रभारी फैजान सरवर खान ने बताया कि ग्राम पंचायत सामरबार के आश्रित ग्राम झूमराडूमर में पहाड़ी कोरवा राजूराम,उसकी पत्नी भिन्सारी बाई,तीन साल की बेटी देवंती बाई और 1 साल का बेटा देवन राम ने बस्ती के पास एक पेड में फांसी लगा कर सामूहिक आत्महत्या किये जाने का दुखद मामला सामने आया हैं। इस घटना का कारण अब तक सामने नहीं आ सका है। पार्टी के जिलाध्यक्ष सुनिल गुप्ता ने भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य विष्णुदेव साय, पूर्व सांसद राजा रणविजय सिंह जूदेव, लोकसभा सांसद गोमती साय, पूर्व प्रदेश महामंत्री कृष्ण कुमार राय, प्रदेश मंत्री प्रबल प्रताप सिंह जूदेव की सलाह पर इस मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया है। इस जांच टीम में जिला पंचायत जशपुर की अध्यक्ष श्रीमती रायमुनि भगत,डीडीसी गेंदबिहारी राम, कोरवा सावन राम,केशव यादव और देवलाल भगत को शामिल किया गया है। जांच टीम घटना स्थल का निरीक्षण कर,मृतकों के स्वजनों और स्थानीय रहवासियों का बयान दर्ज कर,मामले की गहराई तक जांच करेगें। प्रदेश भाजपा ने कोरवा परिवार की सामूहिक आत्महत्या प्रकरण की जांच हेतु गठित की समिति ! समिति संबंधित स्थानों का शीघ्र दौरा कर इस घटना से संबंधित तथ्यों का अन्वेषण कर अपनी रिपोर्ट पार्टी को सौंपेगी जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सामरबार में सामूहिक आत्महत्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव ने एक 06 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। यह समिति संबंधित स्थानों का शीघ्र दौरा कर इस घटना से संबंधित तथ्यों का अन्वेषण कर अपनी रिपोर्ट पार्टी को सौंपेगी।

विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों के लिए लगाया गया स्वास्थ्य शिविर

शिविर में 31 लोगों का जांच कर नि:शुल्क दवाई वितरण किया गया

छ.ग.फ्रंटलाइन

कोरिया। बगीचा विकास खण्ड के ग्राम बैगाकोना में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें 31 लोगों का स्वास्थ्य जांच करके नि:शुल्क दवाई भी दी गई। डॉक्टर के टीम ने पहाड़ी कोरवा परिवार के लोगों को साफ-सफाई, पौष्टिक भोजन, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करवाने की भी सलाह दी। स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर ने बताया कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या आने पर अपने नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर अपना ईलाज जरूर करावें।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया

छ.ग.फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर एवं हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नवा रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में कुलसचिव प्रोफेसर वी.सी. विवेकानंद के नेतृत्व में एच.एन.एल.यू. प्रो. बोनों क्लब ने 03 अप्रैल 2023 को कलेक्टोरेट मंत्रणा कक्ष एवं महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय जशपुर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में शिक्षा का अधिकार एवं महिलाओं के अधिकार के संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर श्रीमती गीता नेवारे जज कुटुंब न्यायालय जशपुर, अजीत कुमार राजभानु अपर सत्र न्यायधीश कुनकुरी, के.पी.सी. भदौरिया अपर जिला न्यायधीश जशपुर, डमरूधर चौहान मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट जशपुर, महेश कुमार राज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर उपस्थित थे। प्रो. बोनों क्लब की समन्वयक तथा असिस्टेंट प्रोफेसर (विधि) डॉ. बलविनदर कौर ने इस वर्कशॉप का संचालन किया। दीपक कुमार गुप्ता असिस्टेंट प्रोफेसर (विधि) तथा प्रो.बोनों क्षितिज कुजूर, आशुतोष मरकाम, ओम ऊईके एवं वरशुन भान्न ने इस वर्कशॉप में विभिन्न कानूनों की जानकारी दी। वर्कशॉप के उपरांत विश्वविद्यालय की तरफ से उपस्थित महिलाओं को निशुल्क सेनेटरी पैड का वितरण किया गया एवं विद्यालयों में बच्चों को मानव तस्करी, शिक्षा का अधिकार के संबंध में जानकारी दी गई।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुनकुरी में बैगा-गुनिया की ली गई बैठक

जशपुरनगर। कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल के निर्देश में खंड चिकित्सा अधिकारी कुनकुरी द्वारा 03 अप्रैल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुनकुरी में जिले के बैगा गुनिया लोगों का बैठक आयोजित किया गया। बैठक में बिच्छू और सर्पदंश के मामलों में मरीजों को शीघ्र अस्पताल भेजने के निर्देश दिए गए। साथ ही डॉग बाइट के मामलों में तत्काल मरीजों को अस्पताल भेजने कहा गया। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा महिलाओं में खून की कमी को दूर करने के लिए आयरन गोली का वितरण किया जा रहा है जिसका सेवन करने हेतु प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान क्षेत्र के सभी हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। आयुष्मान कार्ड में 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा है, सिकलिंग के मरीज की संख्या बढ़ रही है जिस पर विवाह के पूर्व में ही महिला और पुरुष को सिकलिंग का जांच करा लेना चाहिए गांव में ज्यादातर इलाज जड़ी बूटी के माध्यम से किया जाता है किंतु वर्तमान में जंगलों को आग लगा दिया जाता है। जिससे जंगल के वनस्पतियों का नाश हो रहा है। जंगलों को आग से बचाने के लिए लोगों से अपील करने के लिए कहा गया है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शासन की विभिन्न योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करना है।

कलेक्टर ने जनदर्शन में दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के दिए निर्देश

जशपुरनगर। कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने आज कलेक्टोरेट कक्ष में जनदर्शन के माध्यम से आम नागरिक से भेंट मुलाकात किए और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। जनदर्शन में नामांतरण, बटाकन, सीमांकन और राजस्व से संबंधित प्रकरण, आयुष्मान कार्ड, राशनकार्ड बनाने, पेंशन संबंधी समस्या, दिव्यांग प्रमाण-पत्र के लिए भी आवेदन लेकर आम नागरिक जनदर्शन में पहुंचे थे। कलेक्टर ने अनिमा खलखो, अनिता तिर्की, सन कुमार तिग्गा, तोफील लकड़ा, रहमत तिग्गा का दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश समाज कल्याण अधिकारी को दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवेदन का निराकरण प्राथमिकता से करने के लिए कहा।

सुपोषण के नोडल अधिकारी अपने चिन्हांकित गांव पहुंचकर पालकों को कर रहे हैं जागरूक

छ.ग.फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल के मार्गदर्शन में जिले में कुपोषण के स्तर में कमी लाने, 0-5 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराने, जनभागीदारी को बढ़ावा देने और एनीमिया मुक्त अभियान को सफल बनाने सुपोषण चौपाल कार्यक्रम का आयोजन जिला स्तर पर किया जा रहा है। जिला स्तरीय 50 अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। अधिकारियों द्वारा अपने चिन्हांकित गांव गांव में जाकर सरपंच पंच जनप्रतिनिधियों, पर्यवेक्षक , एनएम, मितानिन की उपस्थिति में सुपोषण चौपाल लगाकर बच्चों के पालकों को जागरूक किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि कुपोषित बच्चों को पतला आहार न दे उन्हें भोजन में गाढ़ा और मुलायम भोजन देने के लिए कहा है। भोजन में आयोडीन नमक का ही उपयोग करने के लिए कहा है। प्रतिदिन कम से कम एक पका हुआ मौसमी फल थोड़ा थोड़ा खिलाने के कहा गया अधिकारियों ने पालकों को समझाइश देते हुए बताया कि बच्चों को खाना खिलाने से पहले हाथ और बर्तन को अच्छी से तरह से साफ करना चाहिए। बच्चों को हमेशा ताजा नाश्ता और भोजन दें। रेडी टू ईट, खिचड़ी और हलवा भी सप्ताह में देने के लिए कहा। अंडा दूध नियमित बच्चों को देना चाहिए। सब्जी में हरी साग सब्जी का ज्यादा उपयोग करने के लिए कहा है। अधिकारियों ने पालकों को बताया कि कुपोषित बच्चों को एनआर सी सेंटर में अनिवार्य रूप से भर्ती करें।

नीलांबर को खुद का बूट दुकान संचालन करने में मिल रही है खुशी

जशपुरनगर। जिला प्रशासन और कलेक्टर डॉ रवि मित्तल के सार्थक प्रयास से दूरस्थ अंचल के युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, जशपुर के द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ताकि युवाओं को अपना खुद का रोजगार स्थापित करने में आसानी हो सके। इसी कड़ी में जिला प्रशासन के अतंर्गत संचालित अंत्यावसायी सहकारी विभाग के माध्यम से पत्थलगांव विकासखंड के ग्राम तमता निवासी नीलांबर सिदार को बूट हाऊस दुकान का संचालन करने के लिए अजजा स्माल बिजनेस सेवा क्षेत्र योजना के तहत 3 लाख रुपए का लोन दिया गया है। नीलाम्बर सिदार ने जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज वे स्वयं दुकान का संचालन कर रहे है। और उन्हें बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने बताया कि आज वे अपने परिवार के साथ हंसी-खुशी जीवन यापन कर रहे है।

न्यायालय तहसीलदार नजूल अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ0ग0)
रा.प्र.क्र.1271/अ-20(1)/2022-23
ईश्तहार

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है छत्तीसगढ़ राजस्व प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के परिपत्र क्रमांक एफ 04-07/सात-01/2019 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11/09/2019 के द्वारा जारी निर्देशानुसार छ.ग. राजस्व पुस्तक परिपत्र के खण्ड 4(1) एवं 4(2) के अद्यतन संशोधित प्रावधानों के तहत आवेदक रामाखेलावन आ0 बुद्धसेन शर्मा (अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण सेवा समिति मंदिर) निवासी-सत्तीपारा, अम्बिकापुर, स्थित शासकीय नजूल भूमि खसरा नम्बर 619 रकबा 0.33 एकड़ में से रकबा 293.20 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय मकान एवं मंदिर निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। उसके व्यवस्थापन/आबंटन बावत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति या पक्षकार को कोई दावा/आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 13.04.2023 तक इस न्यायाल में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकतें है। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 27.03.2023 को न्यायालयी पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

तहसीलदार, नजूल
अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार पत्थलगांव, जिला-जशपुर (छ0ग0)
रा.प्र.क्र./अ-20(2)/2021-22
ग्राम पत्थलगांव, तह0 पत्थलगांव
ईश्तहार

एतद् द्वारा आम जनता नगर पंचायत पत्थलगांव को सूचित किया जाता है कि आवेदक मुरली आ0 श्री हरि जाति नाई, निवासी- वार्ड क्र. 12 पत्थलगांव तहसील पत्थलगांव जिला जशपुर (छ0ग0) के द्वारा ग्राम पत्थलगांव स्थित भूमि ख0 नं0 3429 में से रकबा 1000 वर्गफुट शासकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण भूमि का व्यवस्थापन कर भूमि स्वामी अधिकार प्रदाय किये जाने हेतु कलेक्टर महोदय जशपुर को आवे. दन पत्र प्रस्तुत करने पर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा0) पत्थलगांव के माध्यम से इस न्यायालय को जॉच कर प्रतिवेदन हेतु प्राप्त हुआ है। जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त भूमि को व्यस्थापन कर भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किये जाने के संबंध में जिस किसी व्यक्ति को उजर आपत्ति या दावा हो वह स्वयं अथवा वैध अभिकर्त्ता के मय दस्तावेज दावा या आपत्ति दिनांक 21.07.2022 तक न्यायालय में पेश कर सकता है। नियत समय पश्चात् प्राप्त दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 07.07.2022 को न्यायालयी पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

तहसीलदार,
पत्थलगांव, जिला जशपुर
(छ0ग0)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, (छ0ग0)
रा.प्र.क्र./अ-2/2022-23
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सीमा गोयल पत्नी अनिल कुमार गोयल जाति अग्रवाल, निवासी ग्राम/नगर अग्रसेन वार्ड अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि स्थित- ग्राम नवागढ़, तहसील अम्बिकापुर खसरा नंबर 199/2 रकबा 0.077 हे. में से 0.0182 हे. भूमि को कृषि भिन्न, व्यवसायिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए बी-1, खसरा, नक्शा, भूमि उपयोगिता प्रमाण-पत्र, रजिस्ट्री की प्रति आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो न्यायालय में विच. ाराधीन है। अतएव उक्त सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो निर्धारित सुनवाई तिथि 19.04.2023 को मेरे न्यायाल में अथवा अधिक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 03.04.2023 को न्यायालयी पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
अम्बिकापुर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, (छ0ग0)
रा.प्र.क्र./अ-2/2022-23
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक साहिल गोयल पिता अनिल कुमार गोयल जाति अग्रवाल, निवासी ग्राम/नगर अग्रसेन वार्ड अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि स्थित- ग्राम नवागढ़, तहसील अम्बिकापुर खसरा नंबर 200/8, 200/9 रकबा 0.020, 0.018 हे. भूमि को कृषि भिन्न, व्यवसायिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए बी-1, खसरा, नक्शा, सेटलमेंट, भूमि उपयोगिता प्रमाण-पत्र, रजिस्ट्री की प्रति आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो न्यायालय में विच. ाराधीन है। अतएव उक्त सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो निर्धारित सुनवाई तिथि 19.04.2023 को मेरे न्यायाल में अथवा अधिक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 03.04.2023 को न्यायालयी पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
अम्बिकापुर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, (छ0ग0)
रा.प्र.क्र./अ-2/2022-23
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अखिलेश कुमार मेहता आ0 कामेश्वर महता जाति कोइरी, निवासी ग्राम/नगर चोपड़ा पारा अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि स्थित- ग्राम नमनाकला, तहसील अम्बिकापुर खसरा नंबर 179/26 रकबा 0.081 हे. में से 0.040 हे. भूमि को कृषि भिन्न, व्यवसायिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए बी-1, खसरा, नक्शा, ले-आउट, रजिस्ट्री की प्रति आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो निर्धारित सुनवाई तिथि 19.04.2023 को मेरे न्यायाल में अथवा अधिक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 03.04.2023 को न्यायालयी पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ0ग0)
ईश्तहार
रा0प्र0क्र0 /अ-2/2022-23

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक नईमुल हसन आ0 महमुदुल हसन जाति जुलाहा निवासी /ग्राम नगर मोमिनपारा तहसील अंबिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम क्रांतिप्रकाशपुर तहसील अंबिकापुर खसरा नंबर 390/4, 391/5, 393/9 रकबा 0.001, 0.015, 0.001 हे0 कुल 0.017 हे0 भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए बी-1, खसरा, नक्शा, सेटलमेंट, रजिस्ट्री की प्रति आदि सहित आवेदन प्रस्तुत किया है जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 17/ 04/2023 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा -आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 03/04/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अंबिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर के न्यायालय मे मामला
क्रमांकः 202303020700229
विषयः- अ-6 मामले की श्रेणीः- राजस्व
सनः- 2022-23
नमना कला प.ह.नं. 00020 {(हे0)}
पक्षकारो का विवरण-
आवेदक पक्षकार- शारद अग्रवाल,
आवेदक पक्षकार- पुनमचन्द्र, सुभाषकुमार, नरेश कुमार, अशोक कुमार,
ईश्तहार

आवेदक शारद अग्रवाल आ0 स्व0 पूनम चंद अग्रवाल निवासी बी 504 अशोका डायमंड रतन शंकर नगर रायपुर छ0ग0 के द्वारा ग्राम नमनाकला स्थित खसरा नंबर 151/4 रकबा 2.757 हे. भूमि के राजस्व अभिलेखों में वसीयतनामा के अधार पर नामांतरण किये जाने बावत आवेदन पेश किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 17.04.2023 से पूर्व न्यायाल में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 28.03.2023 को न्यायालयी पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

तहसीलदार,
सरगुजा, (अम्बिकापुर)

जिले की पुलिस ने जन चौपाल व चलित थाना लगा अपराध से बचाव की दी जानकारी

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले की पुलिस ने विभिन्न थाना व चौकी क्षेत्र में जन चौपाल लगाकर लोगो को महिला सुरक्षा एवं ठगी से सावधान रहने
अपराध एवं धोखाधड़ी से बचाव की जानकारी देकर जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू के द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने, नागरिकों की समस्या-शिकायतों का मौके पर ही निराकरण करने पुलिस जन चौपाल व चलित थाना लगाने, ठगी से बचाव के लिए जागरूक करने तथा महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए अभिव्यक्ति ऐप के बारे में महिलाओं को अवगत कराते हुए ऐप के इस्तेमाल को लेकर जागरूक करने के निर्देश जिले के थाना-चौकी प्रभारियों को दिए थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह के मार्गदर्शन में सोमवार को जिले के सभी थाना-चौकी की पुलिस के द्वारा जनप्रतिनिधियों, सरपंच व पंच की मौजूदगी में क्षेत्र में जन चौपाल, चलित थाना का आयोजन कर आमजनता की शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। सूरजपुर थाना के द्वारा ग्राम डुमरिया, थाना प्रतापपुर ने ग्राम केवरां, थाना ओड़गी ने ग्राम ओड़गी, थाना रमकोला ने ग्राम घुई, थाना जयनगर ने ग्राम कमलपुर, थाना चंदौरा ने ग्राम सत्तीपारा, थाना रामानुजनगर ने ग्राम पटना, थाना प्रेमनगर ने ग्राम रघुनाथपुर, थाना झिलमिली ने ग्राम दवना, थाना विश्रामपुर ने ग्राम सतपता, थाना भटगांव ने ग्राम अनरोखा, थाना चांदनी ने ग्राम नवाटोला, चौकी कुदरगढ़ ने व्हीआईपी चौक, चौकी चेन्द्रा ने ग्राम पकनी,

धोखाधड़ी से बचाव हेतु किया जागरूक

चौकी रेवटी ने ग्राम गोवर्धनपुर, चौकी खड़गवां ने ग्राम जगरनाथपुर, चौकी लटोरी ने ग्राम कसकेला, चौकी तारा ने तारा चौक, चौकी बसदेई ने ग्राम मसिरा, चौकी उमेश्वरपुर ने ग्राम लक्ष्मीपुर, चौकी करंजी ने ग्राम करंजी में जन चौपाल-चलित थाना का आयोजन किया है। पुलिस के इस आयोजन से एक ही दिन में करीब 5 हजार नागरिकों को विविध जानकारी देकर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। जन चौपाल में पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को कानून की जानकारी देते हुए अपराध से बचने की समझाईश दी। वर्तमान दौर में किए जा रहे फ्राड जिनमें बैंक एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने तथा बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी बनकर मोबाइल से आधार कार्ड एवं एटीएम कार्ड की गोपनीय जानकारी प्राप्त कर बैंक खातों से रकम पार करने की घटित हो रही घटनाओं की विस्तृत जानकारी ग्रामीणों को देते हुए ठगी का शिकार होने से बचने की सलाह दी। इसी क्रम में सोने के जेवरात डबल करने के नाम पर की जा रही ठगी की जानकारी नहीं ग्रामीणों को दी साथ ग्रामीणों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए उसका पालन करने की अपील की। साईबर अपराध, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानूनों, प्राकृतिक आपदा के मामले में राहत राशि, सहित विधिक जानकारियों से अवगत कराते हुए कहा कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। महिला सुरक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी अभिव्यक्ति ऐप के बारे में अवगत कराया। इसी क्रम में नशा न करने की समझाईश देते हुए नशे से होने वाली आर्थिक, सामाजिक एवं शारीरिक हानियों के बारे में अवगत कराया।

ग्रामीणों में दिखा खासा उत्साह

जिले में साइबर प्रहरी कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिसके तहत ब्राडकास्ट ग्रुप बनाकर 38 हजार लोगों को जोड़ा गया है और उन्हें नियमित रूप से साइबर अपराध से जुड़े सभी जानकारी व ठगी से बचाव होने की जानकारी दी जा रही है। विषम परिस्थिति में ब्राडकास्ट ग्रुप के माध्यम से सुरक्षा एवं जागरूकता संबंधी सूचना भी त्वरित गति से जनसमुदाय को पहुंचाई जा रही है। सोमवार को पुलिस द्वारा आयोजित जन चौपाल के दौरान काफी ग्रामीणों ने साइबर प्रहरी कार्यक्रम से जुड़ने की बात कही और अपना मोबाईल नंबर नोट कराया।

सूचना देने की अपील

पुलिस अधिकारियों ने जन चौपाल के दौरान ग्रामीणों को अवैध कारोबार, नशे के धंधे में लिप्त लोगों, जुआ खेलने वालों की सूचना देने की अपील किया ताकि उनके विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही की जा सके। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, सरपंच, पंच व ग्रामवासियों के सुझाव भी लिए गए। यातायात नियमों की जानकारी देकर उसका पालन करने, घटना-दुर्घटना की सूचना फौरन देने, सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद कर गुड सेमेटेरियन बनते हुए उन्हें तत्काल नजदीक के अस्पताल ले जाने की समझाईश दी गई।

दिव्यांग मिथुन को मिली ट्रायसायकल

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। ग्राम करवा के दिव्यांग मिथुन घोष द्वारा ट्रायसाइल हेतु समाज कल्याण विभाग में आवेदन किया गया था, जिसके तहत् समाज कल्याण की उपसंचालक द्वारा परीक्षण कर ट्रायसायकल उपलब्ध कराया गया। सोमवार को जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राजकुमार मरावी तथा सीईओ सुश्री लीना कोसम सहित जिला पंचायत सदस्यों के माध्यम से मिथुन को ट्रायसायकल प्रदाय किया गया।

जिला न्यायाधीश ने ग्रामीणों एवं बच्चो को दी कानूनी जानकारी

विभिन्न ग्राम पंचायतों एवं स्कूलों में किया विधिक जागरूकता कार्यक्रम

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर गोविन्द नारायण जांगड़े के मार्गदर्शन में कई ग्राम पंचायतों एवं स्कूलों तिलसिवां, पचिरा, शासकीय पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास एवं शासकीय पोस्ट मैट्रिक बालिका छात्रावास में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

उक्त शिविरों में बालक छात्रावास एवं ग्राम पंचायत तिलसिवां में ओम प्रकाश सिंह चौहान, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर एवं आनंद कुमार सिंह, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 तथा बालिका छात्रावास एवं ग्राम पंचायत पचिरा में राजेन्द्र कुमार वर्मा, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं असलम खान, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सूरजपुर उपस्थित रहे। शिविर में ओमप्रकाश सिंह चौहान प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा बालक छात्रावास में मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर दुर्घटना दावा, लैंगिल अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।

वहीं ग्राम तिलसिवां के जागरूकता शिविर में उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए भरण पोषण अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की। राजेन्द्र कुमार वर्मा प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा बालिका छात्रावास में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, प्रथम सूचना रिपोर्ट, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम एवं निःशुल्क विधिक सेवा एवं सहायता के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की। आनंद कुमार सिंह, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 द्वारा बालक छात्रावास में बच्चों को साइबर अपराध के संबंध में एवं वर्तमान में साइबर अपराध कारित करने हेतु अपनाये जा रहे नये-नये तरीकों के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए मोटर व्हीकल एक्ट, बाल अपराध एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान दी।

वही ग्रामीण शिविर में टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, आबकारी अधिनियम, जिला विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की। असलम खान, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 द्वारा पॉक्सो एक्ट, साइबर अपराध, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए अन्य विधि विषयों पर जानकारी प्रदान दी।

उत्साह से युवाओं ने भरा बेरोजगारी भत्ता हेतु ऑनलाइन आवेदन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना बेरोजगारी भत्ता के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। इसे लेकर जिले के युवाओं में खासा उत्साह है, योजना के तहत् शिक्षित बेरोजगार को अप्रैल माह से 2500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। अप्रैल महीने में किसी भी दिन किए गए आवेदनों पर घोषणा अनुसार भत्ता 01 अप्रैल से ही देय होगा। जिले के चॉइस सेंटरों में बड़ी संख्या में युवा ऑनलाईन आवेदन भरने पहुंच रहे हैं। युवाओं ने कहा कि राज्य सरकार की इस योजना से हमारे सपनों को नई उड़ान मिलेगी। आर्थिक तंगी के चलते हमारे सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे, इस योजना से अब हमारे दिन सुधरेंगे। जिला रोजगार अधिकारी सहित आसपास के चाईस सेंटरों का दौरा कर बेरोजगारी भत्ता के लिए भरे जा रहे आवेदनों की जानकारी ली और युवाओं से चर्चा की। उन्होंने युवाओं से कहा कि आवेदन के लिए कोई समय-सीमा नहीं है। इसलिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें। बेरोजगारी भत्ता के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी लेकर ही आवेदन करें।

जिला मुख्यालय के समीप ग्राम चंदरपुर गुप्ता चॉइस सेंटर में आवेदन करने पहुंचे सूरजपुर निवासी श्याम लाल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दी जा रही बेरोजगारी भत्ता से गरीब परिवार के युवाओं को बहुत राहत मिलेगी। इससे हमें पढ़ाई के लिए छोटी-छोटी आवश्यकताओं में बहुत सहयोग मिलेगा।

गिरवरगंज निवासी श्री तुलसाय ने बताया कि में बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन करने पहुंचा हूँ। बेरोजगारी भत्ता मिलने से जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते, उन्हें बहुत राहत मिलेगी। ग्राम केंवरा निवासी विश्वनाथ कुशवाहा ने बताया कि राज्य सरकार यह बहुत अच्छी पहल है। इससे बेरोजगार युवाओं को बहुत फायदा होगा।

एनएचएम की लिखित परीक्षा 6 अप्रैल को

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। नर्सिंग ऑफिसर (एन.एच.एम.) रिक्त पद पर संविदा नियुक्ति हेतु 24 जुलाई 2022 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसे 25 जनवरी 2023 के माध्यम से अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया गया था।

उक्त दक्षता, लिखित एवं परीक्षा का पुनः आयोजन किया गया है, 06 अप्रैल 2023 को समय प्रातः 10:30 बजे से लाईवलीहुड कॉलेज पर्री में आयोजन किया जाना नियत किया गया है। लिखित परीक्षा की तिथि व अन्य जानकारी जिला सूरजपुर के www.surajpur. gov.in में देख सकतें है।

रेडक्रॉस सोसायटी को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करने के निर्देश

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी छत्तीसगढ़ के चेयरमैन अशोक अग्रवाल के आगमन पर ग्राम पंचायत लांची के पंडोपारा में पण्डो जनजाति हेतु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कलेक्टर के आदेशानुसार किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर. एस. सिंह के मार्गदर्शन जनपद अध्यक्ष जगलाल देहाती, सरपंच झरियारो बाई की उपस्थिति में पंडो पारा में स्वास्थ शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें पण्डो जनजाति के 100 से अधिक लोगों का बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। तत्पश्चात चेयरमैन अशोक अग्रवाल, जनपद अध्यक्ष जगलाल देहाती, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आर एस सिंह के द्वारा लोगों को हाइजीन किट का वितरण किया गया एवं उनको बेहतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा हेतु जागरूक किया गया। तत्पश्चात शाम को जिला के सर्किट हाउस में कलेक्टर की उपस्थिति में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के आजीवन सदस्य

छग रेडक्रॉस के चेयरमैन ने ली रेडक्रास की बैठक

एवं रेडक्रास टीम की बैठक लेकर सदस्यता को बढ़ाने के लिए अभियान चलाने समस्त स्कूल, जूनियर रेडक्रॉस एवं कॉलेज को यूथ रेडक्रॉस में शत् प्रतिशत पंजीयन कराने, विकास खंड स्तर में उपसमिति का गठन, फर्स्ट एडं की प्रशिक्षण कराने, समस्त स्कूल एवं कॉलेज में वॉलिंटियर तैयार करने को कहा। कलेक्टर ने रेडक्रॉस की ओर से समस्त पंडो जनसंख्या वाले जगह में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करने, जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए रेडक्रॉस के द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाकर निक्ष्य मित्र बनाने का निर्देश दिये। उन्होंने जिला में रेडक्रॉस का अलग कार्यालय बनाने का निर्देश दिया, उन्होंने रेडक्रॉस सोसायटी की ओर से एक विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करने का निर्देश दिये, जिससे लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा सके , रेडक्रॉस ब्लड बैंक की स्थापना करने, समस्त विकास खंड में ब्लड डोनेशन कैंप लगाने के भी निर्देश दिये। जिससे जरूरतमंद लोगों को ब्लड की कमी न हो एवं विशाल सेमिनार का आयोजन करने का निर्देश दिये। जिसमे लोगों को रक्तदान करने के लिए जागरूक किया जा सके और रेडक्रास को बेहतर बनाने हेतु कई अहम मुद्दों पर चर्चा किया गया। श्री अग्रवाल द्वारा रेडक्रॉस द्वारा बेहतर कार्य करने हेतु जिला की तारीफ करते हुए उनके द्वारा कई चीजों के लिए मार्गदर्शन देकर अच्छे कार्य करने हेतु शुभकामनाएं दी।
इस दौरान सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक डॉ. एस.के त्रिपाठी, जिला कार्यक्रम अधिकारी गणपत नायक, ओमकार पांडे ,अनिल गोयल, विकास अग्रवाल, रजनीश गर्ग, आरफोज खान, डॉ. कुलदीप द्विवेदी, आर.एच.ओ. नितेश मंडावी, सीएचओ भावना सूर्यवंशी जिला संगठन संदीप गुप्ता, लक्षण धारी सिंह, महिला पर्यवेक्षक के.एस. अब्राहमत्र, एनएम एम. बसंती राजवाड़े, वाहन चालक योगेंद्र साहू, मोहम्मद नसीम खान, योगेंद्र साहू और अन्य सदस्य गण उपस्थित थे।

बलरामपुर की थालियों में अब स्वाद के साथ साथ परोसी जाएगी पौष्टिकता

बलरामपुर। छ.ग. फ्रंटलाइन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना मिलेट मिशन योजना के तहत सरगुजा संभाग का पहला सेहत बाजार का लोकार्पण आज बलरामपुर जिला मुख्यालय में संसदीय कार्य, कृषि विकास मंत्री श्री रविन्द्र चौबे व आबकारी, वाणिज्यिक कर विभाग के मंत्री श्री कवासी लखमा के कर कमलों से किया गया। इस दौरान प्रदेश के दोनों कैबिनेट मंत्रियों ने सेहत बाजार में तैयार किये गए व्यंजनों का स्वाद लेते हुए, जिलेवासियों को बधाई दी।

इस मौके पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने संभाग का पहला सेहत बाजार खुलने पर लोगों को बधाई दी, साथ ही मिलेट कैफे योजना के तहत खुले मिलेट कैफे का नाम सेहत बाजार रखने पर उन्होंने कलेक्टर की पीठ भी थपथपाई इस मौके पर लोगों से कहा कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब की थालियों से पौष्टिकता कब गायब हो गई हमें पता ही नहीं चला, मिलेट मिशन योजना के तहत आपके जिले में खोला गया यह सेहत बाजार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई एक अभिनव पहल है, जिसके तहत एक बार फिर हम सब की थालियों में स्वाद के साथ पौष्टिकता भी परोसी जाएगी और एक स्वस्थ छत्तीसगढ़ होने का सपना साकार किया जा सकेगा। वहीं लोकार्पण के लिए पहुंचे आबकारी वाणिज्यक कर विभाग के मंत्री कवासी लखमा ने एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज से वहां पर मौजूद लोगों का दिल जीत लिया मिलेट कैफे के लोकार्पण पर आए मंत्री कवासी लखमा ने ना सिर्फ मिलेट कैफे मे बने स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लिया बल्कि उन्होंने मिलेट कैफे में रागी डोसा भी बनाया उनका डोसा बनाने के अनोखे अंदाज ने वहां के लोगों का दिल जीत लिया और लोगों ने मंत्री के इस अंदाज की जमकर तारीफ भी की।
जिला प्रशासन की पहल पर जिले का पहला सेहत बाजार आज से अस्तित्व में आ गया है,जहाँ सेहत की कॉम्बो डील जिलेवासियों को मिलेगी,इस सेहत बाजार की खासियत रागी और कोदो निर्मित रागी का डुस्का, इडली,दही बड़ा, सांभर बड़ा, रागी के लड्डू ,रागी के कुकीज,इसी प्रकार कोदो की खीर व सिंघाड़े का हलवा जैसे व्यंजन सेहत बाजार में बिक्री किये जायेंगे। जिसका संचालन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की माँ महामाया महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में महिला स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए महिला समूहों के माध्यम से मिलेट्स पर आधारित मिलेट मिशन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस दौरान संसदीय सचिव व सामरी विधायक श्री चिंतामणी महाराज,सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व रामानुजगंज विधायक श्री बृहस्पत सिह,कलेक्टर श्री विजय दयाराम के.,पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग,मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती रेना जमील सहित जिले के निवार्चित जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

ओपन परीक्षा में 91 परीक्षार्थी अनुपस्थित

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले में आयोजित ओपन परीक्षा में 91 परीक्षार्थी

अनुपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर द्वारा आयोजित ओपन परीक्षा हेतु जिले में 09 परीक्षा केन्द्र बनाये गए है। जिनमे जीव विज्ञान की परीक्षा शांति पूर्वक संपन्न हुई। सूरजपुर से कुल 1139 में से 1048 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। जबकि 91 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे।
जिले से शा. बालक उ.मा.वि. ओड़गी से कुल 03 नकल प्रकरण दर्ज किया गया। जिला प्रशासन एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सूरजपुर से सहायक जिला क्रीडा अधिकारी शरदेन्दु कुमार शुक्ल के द्वारा शा.बालक उ.मा.वि. भैयाथान का औचक निरीक्षण किया गया। परीक्षा शांतिपूर्वक संचालित होना पाया गया।

प्रदेश विशेष आमंत्रित सदस्य व जिला सहप्रभारी बने इरफान

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

दतिमा मोड़। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के सहमति व अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद के द्वारा प्रदेश पदाधिकारियों व जिला प्रभारियों का घोषणा की गई है। जिसमें सूरजपुर जिले के दतिमा निवासी मोहम्मद इरफान अंसारी को प्रदेश विशेष आमंत्रित सदस्य एवं कोरिया जिले का सहप्रभारी नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर इरफान ने सौंपी गई जिम्मेदारी के लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए अपेक्षा पर खरा उतरने की बात कही है। इस नियुक्ति पर प्रदेश संगठन व जिला के समस्त नेताओं को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा है कि संगठन ने मुझ पर जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरने का कोशिश करूंगा। इनके नियुक्ति के पश्चात परिवार व मित्रो में हर्ष व्याप्त है।

कोरिया फ्रंटलाइन

मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मिल रही लाभ

छ.ग.फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। जिले के विकासखंड सोनहत के अंतर्गत ग्राम उज्ञांव में हर शुक्रवार को हॉस्पिटल वाली गाड़ी पहुंचती हैं। हॉस्पिटल वाली गाड़ी यानी मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के तहत संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट जिसके जरिए मेडिकल टीम हाट बाजारों में पहुंचती है और लोगों को सहजता से स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदाय की जाती हैं। इसी क्रम में उज्ञांव के महावीर जिनकी उम्र 75 वर्ष है, लगातार सर दर्द की परेशानी लेकर क्लीनिक पहुंचे थे। मेडिकल टीम ने जांच की तो पता चला कि मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। क्लीनिक में मौजूद डॉक्टर ने उन्हें दवाई वितरण कर हर सप्ताह पर्ची लेकर आने और नियमित जांच की सलाह दी। अब वे नियमित रूप से हाट बाजार क्लीनिक आते हैं और नि:शुल्क जांच और दवा का लाभ उठाते हैं। महावीर की तरह ही उज्ञांव के ही रहने वाले बीर सिंह सर्दी खांसी बुखार एवं शरीर मे दर्द के इलाज के लिए आये थे। क्लीनिक में जांच हुई और दवाई का वितरण किया। जिससे उन्हें काफी आराम मिला। वे काफी खुश है कि अब हाट में ही सामान के साथ इलाज भी मिल जाता है और मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना से संतुष्ट हैं। कोरिया जिले में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना के तहत दोनों विकासखंडों की औसत ओपीडी 94 है। बीते 10 दिनों में 1600 से भी ज्यादा लोगों को बीपी, शुगर जांच, हीमोग्लोबिन, मलेरिया जांच जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं का लाभ मिला है।

बेरोजगारी भत्ता हेतु पंजीयन शुरू, अब तक 80 से ज्यादा युवाओं ने किया आवेदन

छ.ग.फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को प्रतिमाह 2500 रूपए बेरोजगारी भत्ता देने की योजना प्रारंभ की गई है। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। जिले में अब तक 80 से भी ज्यादा युवाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया है। जिले के दोनों विकासखंडों बैकुंठपुर और सोनहत में कुल 20 सत्यापन केंद्र बनाए गए है जहां सत्यापन दल द्वारा आवेदन व दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसमें निर्धारित पात्रता पूरा होने पर योजना के तहत इन्हें अधिकतम दो वर्ष तक 2500 रुपये प्रतिमाह भत्ता मिलेगा। शासन की इस योजना से पढ़ाई व प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी में आर्थिक सम्बल मिलने की आस से युवाओं में उत्साह है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में बेरोजगारी भत्ता योजना के क्रियान्वन के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारी की गई है। जिला प्रशासन द्वारा जिले में करीब 20 क्लस्टर में बनाये गए हैं तथा योजना के सुचारू संचालन हेतु अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। आवेदनों और दस्तावेजों के सत्यापन हेतु तिथि निर्धारित की जाएगी। हर कलस्टर में एक सत्यापन केंद्र होगा जहां आवेदन व दस्तावेजों का आवेदकों की उपस्थिति में सत्यापन किया जाएगा। आवेदन में भरी गई सभी जानकारी व दस्तावेज निर्धारित पात्रता अनुसार सही पाए जाने पर बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति हेतु आगे की कार्यवाही की जाएगी।

24 घंटे खुला रहेगा पोर्टल

बेरोजगारी भत्ता हेतु पंजीयन के लिए https://berojgaribhatta.cg.nic.in पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पंजीयन की कार्यवाही 01 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हो गई है। बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है और ना ही पोर्टल के खुलने या बंद होने का समय तय किया गया है। पोर्टल सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे खुला रहेगा। आवेदक इस पोर्टल पर अपनी सुविधा अनुसार कभी भी आवेदन कर सकते हैं।

हाथ में सर्वेक्षण फॉर्म लेकर कलेक्टर ने गांव में लोगों के नाम का किया मिलान

कलेक्टर संजीव झा ने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य का किया निरीक्षण, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र घिनारा,नवापारा और पीडिया में ग्रामीणों से की चर्चा

छ.ग.फ्रंटलाइन, कोरबा। आप लोग समय पर सर्वे करने आ रहे हैं न घर के सभी सदस्यों की जानकारी सही-सही भर रहे हैं न और सर्वेक्षण में कोई परेशानी तो नहीं आ रही है प्रगणकों से यह पूछते हुए कलेक्टर संजीव कुमार झा ने सोमवार को ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य का न सिर्फ निरीक्षण किया, अपितु उन्होंने प्रगणकों द्वारा भरे जा रहे सर्वेक्षण फॉर्म को हाथ में लेकर फॉर्म में दर्ज जानकारियों का मिलान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सर्वे से पहले गांव में अनिवार्य रूप से मुनादी करा ली जाए ताकि ग्रामीण अपने घर में उपस्थित रहे और सर्वेक्षण में शामिल हो सकें। कलेक्टर झा ने बिना किसी त्रुटि के सभी अनिवार्य जानकारी मोबाइल एप और फॉर्म में दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रगणकों से भी चर्चा की और किसी प्रकार की समस्या आने पर सम्बंधित अधिकारियों को सूचित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर झा और जिला पंचायत सीईओ नूतन कुमार कंवर ने शासन की विभिन्न योजनाओं से ग्रामीणों को लाभान्वित करने के लिए 1 अप्रैल से प्रारंभ हुए छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने करतला विकासखंड के अंतर्गत दूरस्थ ग्राम घिनारा, पीड़िया और नवापारा में ग्रामीणों के घर जाकर सर्वेक्षण कार्य को देखा और सर्वे कर रहे प्रगणकों को निर्देशित किया कि सर्वे से कोई भी परिवार वंचित न रहे और सर्वे में सभी शामिल हो। कलेक्टर ने सर्वे के दौरान राशन कार्ड, आधार में दर्ज जानकारी के आधार पर प्रपत्र में परिवार की जानकारी दर्ज करने, मकानों का नम्बर ऑयल पेंट से मोटे अक्षरों में लिखने, परिवार के मुखिया का फोटो मकान नम्बर के साथ लेते हुए 18 वर्ष या अधिक के सदस्यों का प्रपत्र में हस्ताक्षर लेने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने सर्वे में ग्रामीणों की सहभागिता कहा कि ग्रामीण अपना सर्वे कराकर घर से बाहर महुआ बीनने या दूसरे काम से जाए, इसके लिए मुनादी कराना जरूरी है। उन्हें सामाजिक,आर्थिक सर्वेक्षण के फायदे को भी बताया जाना चाहिए। कलेक्टर ने प्रगणक दलों को पूरी गंभीरता से त्रुटि रहित सर्वेक्षण करने के निर्देश देते हुए मोबाइल एप में ऑनलाइन एंट्री एवं मैनुअल एंट्री के बारे में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों, पंच और मितानिनों से सहयोग लेने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सीमा पात्रे, जनपद सीईओ एमएस नागेश आदि उपस्थित थे।

गांव की गलियों में पैदल चलते हुए ली समस्याओं की जानकारी

गांव की गलियों में पैदल चलते हुए ली समस्याओं की जानकारी कलेक्टर झा ने ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा कर न सिर्फ सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण कार्य का निरीक्षण किया, अपितु उन्होंने घिनारा, पीड़िया और नवापारा में गाँव की पैदल चलते हुए सरपंच तथा ग्रामीणों से पेयजल की उपलब्धता, हैण्डपंप, वन अधिकार पत्र, जाति प्रमाण पत्र, फौती, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन न्याय योजना, फसल उत्पादन आदि के संबंध में चर्चा करते हुए उनकी समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान पटवारी से भी राजस्व संबंधी प्रकरणों के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने जनपद सीईओ को भी आवश्यक निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार 'राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना' का बढ़ा दायरा

छ.ग.फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार 'राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना' का विस्तार ग्राम पंचायत क्षेत्रों के साथ-साथ नगर पंचायतों एवं अनुसूचित क्षेत्र की नगर पालिकाओं में किया गया है। राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदेश में इस योजना के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में हितग्राहियों से नवीन आवेदन प्राप्त कर डाटाएन्ट्री का कार्य करने के लिए समय-सारणी जारी कर दी गई है। समय-सारणी के अनुसार 'राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना' के नवीन आवेदन प्राप्त करने की तिथि 1 से 15 अप्रैल तक निर्धारित की गई है। पोर्टल में डाटा प्रविष्टि करने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल तक, तहसीलदार द्वारा पंजीकृत आवेदनों के निराकरण की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक, आवेदनों की स्वीकृति/अस्वीकृति के बाद ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका क्षेत्रों पर प्रकाशन कर दावा आपत्ति का ग्राम सभा/सामान्य सभा में निराकरण की अंतिम तिथि 8 मई निर्धारित की गई है। सामान्य सभा के निर्णय अनुसार पोर्टल में अद्यतीकरण की तिथि 14 मई तथा अंतिम सत्यापित सूची के प्रकाशन की तिथि 15 मई निर्धारित की गई है। राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव नीलम नामदेव एक्का ने समस्त कलेक्टर, जिला पंचायत के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत तथा नगर पालिका को ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में ऑनलाईन प्रविष्टि एवं समय-सीमा में किए जाने वाले कार्यों की कार्ययोजना प्रेषित कर समय-सारणी के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए है।

हितग्राही परिवार की पात्रता

इस योजना की पात्रता केवल छत्तीसगढ़ के मूलनिवासियों को होगी। ग्राम पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्रों में निवासरत् भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार जिनके पास कृषि भूमि नहीं है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। पट्टे पर प्राप्त शासकीय भूमि तथा वन अधिकार प्रमाण पत्र से प्राप्त भूमि को कृषि भूमि माना जाएगा। ग्राम पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्रों के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे, यदि उस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है। अनुसूचित क्षेत्रों के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले व्यक्ति जिन्हें पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी आदि नामों से जाना जाता है, तथा आदिवासियों के देव स्थल के हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया, कृषि भूमि धारण करने के बावजूद योजनांतर्गत पात्र होंगें। परंतु इस वर्ग के वे परिवार जो शासन से सामायिक भत्ता, आर्थिक सहायता अन्य योजना में प्राप्त कर रहे हों, पात्र नहीं होंगे।

भूमिहीन कृषि मजदूर

ऐसा व्यक्ति जो कोई कृषि भूमि धारण नहीं करता और जिसकी जीविका का मुख्य साधन शारीरिक श्रम करना है और उसके परिवार का जिसका की वह सदस्य है, कोई सदस्य किसी कृषि भूमि को धारण नहीं करता है। कृषि भूमिहीन परिवारों की सूची में से परिवार के मुखिया के माता या पिता के नाम से यदि कृषि भूमि धारित है अर्थात् उस परिवार को उत्तराधिकार हक में भूमि प्राप्त करने की स्थिति होगी, तब वह परिवार भूमिहीन परिवार की सूची से पृथक हो जाएगा। आवासीय प्रयोजन हेतु धारित भूमि, कृषि भूमि नहीं मानी जाएगी। अपंजीकृत परिवारों को योजनांतर्गत अनुदान की पात्रता नहीं होगी। पंजीकृत हितग्राही परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर उक्त परिवार के द्वारा पात्रता अनुसार नवीन आवेदन योजनांतर्गत प्रस्तुत किया जाना होगा। यदि पंजीकृत हितग्राही परिवार के मुखिया के द्वारा असत्य जानकारी के आधार पर अनुदान सहायता राशि प्राप्त की गई हो, तब विधिक कार्यवाही करते हुए उक्त राशि उससे भू-राजस्व के बकाया के रूप जाएगी। योजना के हितग्राही के पास 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में निर्धारित पात्रता होनी चाहिए।

हितग्राही परिवारों का पंजीयन

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए हितग्राही परिवार को आवश्यक दस्तावेज यथा- आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ आवेदन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में सचिव ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा। अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नगर पालिका में स्थित आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले व्यक्ति जिन्हें पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी आदि नामों से जाना जाता है, तथा आदिवासियों के देव स्थल के हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया के आवेदन मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, नगर पंचायत के समक्ष आवेदन करेंगें। आवेदन में मोबाईल नंबर का भी उल्लेख करना होगा। हितग्राही परिवार आवेदन की पावती प्राप्त कर सकेंगे।

कलेक्टर द्वारा अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन का आदेश जारी

छ.ग.फ्रंटलाइन

कोरिया। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन का आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया श्रीमती नम्रता जैन को प्रभारी अधिकारी - जिन मामलों में शासन द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को अंतिम निराकरण के अधिकार प्रत्यायोजित किए गए है, को छोड़कर जिन शाखाओं-विभागों के नस्तियों को परीक्षण उपरांत कलेक्टर को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना होगा उनमें समाज कल्याण विभाग, विकलांग एवं पुर्नवास शाखा, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जिला साक्षरता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, कृषि, मत्स्य, उद्यान, पशु चिकित्सा, डेयरी, रेशम विभाग, क्रेडा, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर, जिला खनिज न्यास निधि, अग्रणी बैंक से संबंधित कार्य, नीति आयोग-सांसद, विधायक, आर्दश ग्राम, चिप्स शाखा, शिक्षा विभाग एवं सर्व शिक्षा अभियान, स्टेडियम, स्पोर्टस, स्वामी आत्मनंद अंग्रेजी- हिन्दी माध्यम विद्यालय, तकनीकी, उच्च शिक्षा, वक्फ सर्वे नोडल अधिकारी, जीवनदीप समिति, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सभी नस्तियां, आयुर्वेद विभाग, हाथकरघा, रेडक्रास, खादीग्रामोद्योग, मुख्यमंत्री कौशल विकास, माननीय मुख्यमंत्री घोषणा, नोडल अधिकारी, कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए जिला नोडल अधिकारी शामिल है। इसके साथ ही कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के अवकाश अथवा मुख्यालय में न होने की दशा में कलेक्टर जिला कोरिया के प्रभार में रहेगें। संयुक्त कलेक्टर अनिल कुमार सिदार संयुक्त कलेक्टर को उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य एवं स्थानीय निर्वाचन, प्रभारी अधिकारी वित्त स्थापना शाखा, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के प्रकरण, जिले के सभी अनुभाग, तहसील के छ.ग भू-राजस्व सहिता 1959 के अधीन प्रस्तुत होने वाले अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन प्रकरणों का निराकरण। धारा 165, धारा 170 (ख) व धारा 247 के प्रकरणों को छोड़कर तहसील-बैकुण्ठपुर के पुनरीक्षण प्रकरण छोड़कर, राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार-तीन (20-भूमि तबादला प्रकरण (सम्पूर्ण जिला), भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 239/240/241 के तहत प्रकरण का निराकरण, खाद्य सुरक्षा व मानक या आवश्यक वस्तु अधिनियम, सम्पूर्ण जिले के अवैध खनिज उत्पाद, परिवहन के प्रकरणों का पंजीकरण, निवर्तन, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4, कोविड-19 के अंतर्गत मृतक के परिजनों को अनुदान, सहायता राशि स्वीकृत करना व आर्थिक सहायता के समास्त प्रकरणों में कलेक्टर के मूल अधिकारों का प्रयोग करेंगे। शाखाओं की नास्तिओं व प्रकरणों का अंतिम निराकरण तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधिक्षक, सहायक अधिक्षक, एवं अन्य कार्यपालिक तृतीय श्रेणी अधिकारियों, कार्यालय के तृतीय वर्ग कर्मचारियों तथा भृत्य के यात्रा भत्ता, औषधि देयक तथा सामान्य भविष्य निधि के सामान्य परिस्थिति में अग्रिम एवं आंशिक आहरण की स्वीकृति तथा अवकाश स्वीकृति, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि, विभागीय भविष्य निधि से आंशिक या अग्रिम आहरण, त्यौहार अग्रिम की स्वीकृति, सेवानिवृत्त तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि, एवं समूह बीमा योजना की जमा राशि का अंतिम भूगतान तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियोंके विभागीय भविष्य निधि खाता में जमा राशि का भुगतान ऐसे प्रकरणों कों छोडकर जिनमें कलेक्टर की अनमुति आवश्यक हो, शासन के नियमों/निर्देशों के अनुरूप् टेलीफोन, विद्युत, पी.एल.ओ एवं वाहन मरम्मत के देयकों की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के नियम 100 के अंतर्गत रूपये 20 हजार तक संबंधित शाखाओं के आवर्ती व्यय की स्वीकृति के अधिकार, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला - कोरिया, राजस्व - शहरी, ग्रामीण आबादी पट्टों का निराकरण, शोध क्षमता प्रमाण पत्र, ऋण भारमुक्त प्रमाण पत्र जारी करना, उत्तराधिकार, वारिसान प्रमाण पत्र, किराया औचित्य निर्धारण, राजस्व अनुभाग, तहसीलों की व्यवस्था अनुसार निरीक्षण/पर्यवेक्षण, अपीलीय जनसूचना अधिकारी, वित्त-स्थापना-वित्त लेखा शाखा, जिला विभागीय जांच अधिकारी, नवीनीकरण (नवीन अनुज्ञप्ति की स्वीकृति को छोड़कर) चरित्र सत्यापन/पासपोर्ट शाखा, जिला पंजीयन, आबकारी विभाग, श्रम विभाग, खाद्य विभाग, खनिज विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, पर्यवक्षी प्राधिकार, क्लिनिकल स्थापना पंजीयन एवं लाईसेंसिग प्रघिकारी जिला कोरिया, जिला कोषालय, जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग, सी.एस.आर. शाखा, कोष लेखा एंव पेंशन, वाचक कलेक्टर न्यायालय, शपथ पत्र सत्यापन एवं सत्य प्रतिलिपि सत्यापन, माननीय उच्च न्यायालय, अन्य वरिष्ठ न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में समय-सीमा में कार्यवाही, अभियोजन शाखा, सांख्यिकी, पासपोर्ट, एस.डब्लू. शाखा, एन.जी.टी, न्यायालयीन प्रकरण विधि, अभियोजन शाखा/धारा 80 के आवेदन, राष्ट्रीय लोक अदालत एवं समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य। डिप्टी कलेक्टर विनय कुमार कश्यप नोडल अधिकारी जिला कौशल विकास प्राधिकरण, प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख शाखा, भू-अभिलेख शाखा के आहरण एवं संवितरण अधिकारी, पशु अनुज्ञा, भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, नाजरात शाखा के साथ-साथ आहरण एवं संवितरण अधिकारी, सड़क दुर्घटना, जिला विवाह अधिकारी (हिन्दू विवाह अधिनियम एवं विशेष विवाह अधिनियम अंतर्गत), स्वान परियोजना, जिला ई-गवर्नेस सोसायटी, वीडियो कान्फ्रेंस, लोक सेवा केन्द्र, मोटर व्हीकल टेक्सेशन एक्ट, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, अंत्यावसायी, सहकारिता, राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण योजना, भुइंया कार्यक्रम, वन अधिकार मान्यता अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र वितरण से संबंधित कार्य, नजूल शाखा, राजीव गांधी आश्रय योजना अंतर्गत पट्टा, व्यवस्थापन, धर्मस्व, धार्मिक न्यास, पुरातत्व, संस्कृति एवं पर्यटन शाखा (अल्पसंख्यक), राज्योत्सव, भू-अर्जन, एस.ई.सी.एल, वरिष्ठ लिपिक (आवास आबंटन सहित), लाईसेंस शाखा, प्रपत्र/अल्प बचत शाखा एवं समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य। डिप्टी कलेक्टर श्री अरूण कुमार सोनकर प्रभारी अधिकारी राजस्व लेखा, आडिट शाखा, राहत एवं बाढ़ आपदा नियंत्रण, शिकायत, जनसमस्या निवारण शिविर, समय-सीमा, जनदर्शन, लोक आयोग, मानवधिकार आयोग एवं अन्य आयोग/निगम, मंडल, प्रतिलिपि शाखा, जनगणना शाखा, जाति प्रमाण पत्र, अधीक्षक शाखा/बैठकों से संबंधित जानकारी संकलित कर फोल्डर तैयार करना, अभिलेखागार (राजस्व शाखा), बीमा योजनाएं, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, पिछड़ा वर्ग कल्याण योजना, आवक-जावक शाखा, लोक सेवा गारंटी अधिनियम एवं समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य। संयुक्त कलेक्टर श्रीमती अंकिता सोम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैकुंठपुर, विविध कार्य अंतर्गत भू-अर्जन अधिकारी(संबंधित अनुभाग), पंजीयक लोक न्यास, समक्ष प्राधिकारी छ.ग. लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 व सहायक सत्कार अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन करेगें। इसी तरह डिप्टी कलेक्टर अमित कुमार सिन्हा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सोनहत, विविध कार्य अंतर्गत भू-अर्जन अधिकारी(संबंधित अनुभाग), पंजीयक लोक न्यास, समक्ष प्राधिकारी छ.ग. लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 व जिला सत्कार अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन करेगें। इसके साथ ही कलेक्टर ने प्रभारी अधिकारी के अनुपस्थिति अथवा अनुपलब्ध होने की दशा के लिए लिंक अधिकारी नियुक्त किये हैं। जिसके अनुसार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नम्रता जैन के लिए संयुक्त कलेक्टर अनिल कुमार सिदार, संयुक्त कलेक्टर अनिल कुमार सिदारे के लिए डिप्टी कलेक्टर विनय कुमार कश्यप, डिप्टी कलेक्टर विनय कुमार कश्यप के लिए अरूण कुमार सोनकर डिप्टी कलेक्टर लिंक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

ग्राम पंचायत सचिवों को डयूटी में लौटने के सख्त निर्देश

कोरबा। छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर से निर्देश जारी किए गए हैं कि 16 मार्च 2023 से अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गये ग्राम पंचायत सचिव 24 घंटे के भीतर हड़ताल समाप्त कर अपने कर्तव्य पर लौटें। इसी संदर्भ में सीईओ जिला पंचायत ने समस्त ग्राम सचिवों को पत्र जारी किया है कि 24 घण्टे के भीतर हड़ताल समाप्त कर अपने कर्तव्य पर लौटें तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के समक्ष अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें, अन्यथा सचिवों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए सचिव स्वयं उत्तरदायी होंगे।

उचित मूल्य की रिक्त दुकानों के आबंटन के लिए छानबीन समिति गठित

कोरबा। युक्तियुक्तकरण योजना के तहत नगर पालिक निगम कोरबा के वार्डों में उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन के लिए रिक्त वार्ड एवं ऐसे फर्म व संस्था जो दुकान आबंटन के बाद भी अनुबंध नहीं कर रहे हैं, ऐसे वार्डों में रिक्त दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया के तहत प्राप्त आवेदनों के परीक्षण के लिए छानबीन समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष डिप्टी कलेक्टर मनोज कुमार खांडे होंगे। समिति में रोजगार अधिकारी, सहायक खाद्य अधिकारी आशीष चतुर्वेदी और सहकारिता निरीक्षक एलएन जायसवाल को सदस्य बनाया गया है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर्स व ऑफसेट पुराना पोस्ट ऑफिस रोड दरींपारा अम्बिकापुर (छ.ग.) पिन नं. 497001 से मुद्रित व महलपारा बैकुण्ठपुर से प्रकाशित। संपादक- कमलेश शर्मा